राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड

Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

(Government of Rajasthan Undertaking)

महाराणा प्रताप बटालियन (आईआर) हथुनिया, जिला प्रतापगढ़

पंचम वार्षिक प्रतिवेदन

5th Annual Report

2017-18

लोअर सर्बोडिनेट आवासीय भवन, शिप्रापथ, जयपुर

लोअर सर्बोडिनेट आवासीय भवन, कालाडेरा, जयपुर

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड

Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

(Government of Rajasthan Undertaking)

पंचम् वार्षिक प्रतिवेदन

5th Annual Report 2017-18

अनुक्रमणिका

शीर्षक	पृष्ठ सं.
निदेशक मण्डल	4
विभाग का संगठनात्मक ढांचा	6
स्वीकृत–कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण	6
विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उनकी विगत 3 वर्षों से तुलना	8
आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि	8
सार–संक्षेप	10
वार्षिक साधारण सभा की सूचना	12
निदेशकों का प्रतिवेदन	22
स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन	56
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	112
दिनांक 31.03.2018 को कार्यों की भौतिक प्रगति	114

CONTENTS

TITLE	PAGE NO.
BOARD OF DIRECTORS	5
ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE CORPORATION	7
DETAILS OF WORKING AND VACANT POST	7
PROGRESS OF MAJOR WORKS OF THE CORPORATION COMPARISON WITH LAST 3 YEARS OF EACH WORK	9
SPECIAL INITIATIVES AND ACHIEVEMENTS OF THE YEAR	9
EXECUTIVE SUMMARY	11
ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE	13
DIRECTORS REPORT	23
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT	57
COMMENTS OF COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA	113
PHYSICAL PROGRESS OF WORKS AS ON REPORT ON 31.03.2018	115

निदेशक मण्डल

श्री कपिल गर्ग
अध्यक्ष
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड़
महानिदेशक, राजस्थान

श्री आलोक ब्रजेश्वर कुमार सिन्हा
निदेशक
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड़
प्रमुख सचिव, पीडब्लूडी, राजस्थान सरकार

श्री भूपेन्द्र सिंह
निदेशक
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड
महानिदेशक, कारागार

श्री सुरेन्द्र कुमार सोलंकी
निदेशक
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड़
विशिष्ट सचिव, वित्त विभाग(व्यय), राजस्थान सरकार

श्री आलोक त्रिपाठी
निदेशक
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड़
महानिदेशक, भ्रष्टाचार–निरोधक ब्यूरो

श्री रोहित कुमार
निदेशक
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड़
सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार

श्री अशोक पाटनी
निदेशक
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड़

श्री अय्यनू मूपनार पोन्नूचामी
प्रबंध निदेशक
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड
अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस आवासन

वैधानिक अंकेक्षक :
मैसर्स राकेश अशोक एण्ड कम्पनी

BOARD OF DIRECTORS

Shri Kapil Garg
Chairman
Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.
DG, Rajasthan

Sh. Alok Brajeshwar Kumar Sinha
Director
Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.
Principal Secretary to Government,
Public Works Department, Rajasthan

Shri Bhupendra Singh
Director
Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.
Director General (Prison), Rajasthan

Shri Surendra Kumar Solanki
Director
Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.
Special Secretary to Government
Finance (Expenditure) Department

Shri Alok Tripathi
Director
Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.
Director General (Anti-Corruption Bureau), Rajasthan

Shri Rohit Kumar
Director
Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.
Secretary, Home Department

Shri Ashok Patani
Director
Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.

Shri Ayyanu Moopanar Ponnuchamy
Managing Director
Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.
Addl. Director General (Police Housing), Rajasthan

Statutory Auditors
M/S Rakesh Ashok and Company

1. विभाग का संगठनात्मक ढांचा–

मंत्रिमंडल की आज्ञा क्रमांक 73/2013 दिनांक 05 अप्रेल 2013 द्वारा स्वीकृत मंत्रिमंडल ज्ञापन के अनुसरण मे गृह विभाग के लिए निर्माण कार्यो की गुणवत्ता, लागत राशि की बचत एवं बजट राशि का समय पर उपयोग किये जाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड (RPHCCL) का गठन किया गया है। वित (जी.एण्ड टी) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1(8) एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 16.09.2015 के अनुसार राजस्थान पुलिस हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि. को निर्माण एजेन्सी घोषित किया गया है।

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय जयपुर से संचालित हो रहा है। निगम के दो ऑपरेशन विंग कार्यालय क्रमशः उदयपुर (रेंज कार्यालय उदयपुर व कोटा) व भरतपुर (रेंज कार्यालय अजमेर व भरतपुर) में स्वीकृत है।

संगठनात्मक ढांचा–

निदेशक मण्डल

अध्यक्ष

प्रबन्ध निदेशक

महाप्रबन्धक

उपमहाप्रबन्धक

सहायक महाप्रबन्धक

लेखाधिकारी

सहायक लेखाधिकारी

मंत्रालयिक कर्मचारी

2. कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण– (दिनांक 01.01.2019 की स्थिति)

क्र.स.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	अध्यक्ष	01	01	00
2	प्रबन्ध निदेशक	01	01	00
3	महाप्रबन्धक	01	01	00
4	उपमहाप्रबन्धक	03	02	01
5	लेखाधिकारी	01	00	01
6	निजी सहायक/निजी सचिव	02	00	02
7	सहायक अभियन्ता (सिविल)	07	07	00
8	सहायक अभियन्ता (विद्युत)	02	01	01
9	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	03	02	01
10	वरिष्ठ लिपिक	02	02	00
11	कनिष्ठ लिपिक	01	00	01
12	वाहन चालक	01	01	00
13	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	06	03	03
14	कम्प्यूटर विथ मैन	03	00	03
	योग	**34**	**21**	**13**

CIN : U45201RJ2013SGC043014

1. Organizational structure of the Corporation -

In pursuance of the Cabinet Memorandum approved by the Cabinet Order No. 73/2013 dated April 5, 2013 for the purpose of saving in the construction cost and timely utilization of funds, quality of construction work, for the Home Department, for which Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd., (RPHCCL) Being formed. According to the notification number F1 (8) FD/GF &R/2011 dated 16.09.2015 of Finance (G&T) Department, Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Limited has been declared as the construction agency.

Headquarter of the Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Limited is operating in Police Headquarters Jaipur. Two operation wing of the Corporation were approved for Udaipur (Range Office, Udaipur and Kota) and Bharatpur (Range Office Ajmer and Bharatpur) respectively.

Organization Structure -

Board of Directors
Chairman
Managing Director
General Manager
Deputy General Manager
Assistant General Manager
Accounts Officer
Assistant Accounts Officer
Ministerial Staff

2 . Details of working and vacant post (as on 01.01.2019)-

S.N.	Name of Post	Sanctioned	Working	Vacant
1	Chairman	1	1	0
2	Managing Director	1	1	0
3	General Manager	1	1	0
4	Deputy General Manager	3	2	1
5	Accounts Officer	1	0	1
6	Personal Assistant/ Personal Secretary	2	0	2
7	Assistant Engineer (Civil)	7	7	0
8	Assistant Engineer (Electrical)	2	1	1
9	Assistant Accounts Officer Gr-II	3	2	1
10	Clerk Gr.- I	2	2	0
11	Clerk Gr. - II	1	0	1
12	Vehicle Driver	1	1	0
13	IV Class	6	3	3
14	Computer With Men	3	0	3
	Total	**34**	**21**	**13**

3. विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक कार्य के विरूद्व आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना–

(अ) स्वीकृत कार्यो का तुलनात्मक विवरण–

क्र.स.	मद	स्वीकृत कार्य (राशि लाखों में)			
		2015–16	**2016–17**	**2017–18**	**योग**
1	आवासीय भवन मद	..	8004.93	6487.40	14492.33
2	प्रशासनिक भवन मद	..	2464.29	6337.69	8801.98
3	आधुनिकीकरण योजना मद	..	253.25	..	253.25
4	अन्य (जेल विभाग व एसीबी)	..	389.32	2691.00	3080.32
	योग	..	11111.79	15516.09	26627.88

(ब) गत तीन वर्षो का तुलनात्मक वित्तीय विवरण–

क्र.स.	मद	तुलनात्मक विवरण (राशि रूपयों में)		
		2015–16	**2016–17**	**2017–18**
(अ)–वित्त पोषण:–				
1	अंश पूंजी	50,00,000	50,00,000	50,00,000
2	प्रोरेटा आय	..	1,16,694	1,55,76,502
3	अन्य आय	1,43,973	4,46,474	20,52,320
(ब)– व्यय:–				
4	संवेतन सहित विभिन्न व्यय	2,26,777	30,46,364	81,24,526
(स) लाभ:–				
5	शुद्व लाभ	–82,804	–24,83,196	95,04,295
6	आयकर एवं लाभांश भुगतान के बाद शुद्व लाभ	–82,804	–24,83,196	59,46,243
7	घोषित लाभांश मय आयकर	..	..	6,01,800

4. आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि–

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लि. जयपुर द्वारा निर्मित विभिन्न भवनों में वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुये निम्नांकित कदम उठाये जा रहे हैं–

1. ऊर्जा संरक्षण – सभी सम्भावित क्षेत्रों में विद्युत व ऊर्जा की बचत के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण का प्रयास प्रबंधन द्वारा सतत् रूप से किया जा रहा है। इस संबंध में निगम देश के ऊर्जादक्ष/संरक्षण नियामकों से निरन्तर सम्पर्क में है, जैसे–

3. Progress of Major works of the Corporation comparison with last 3 years of each work:-

(A) Comparative Statement of Sanctioned Works.

S.N.	Item	Sanctioned Work (In Lacs)			
		2015-16	**2016-17**	**2017-18**	**Total**
1	Residential Building Head	-	8004.93	6487.40	14492.33
2	Administrative Building Head	-	2464.29	6337.69	8801.98
3	Modernization Scheme Head	-	253.25	-	253.25
4	Others (Jail Department and ACB Building)	-	389.32	2691.00	3080.32
	Total	**-**	**11111.79**	**15516.09**	**26627.88**

(B) Comparative of Financial Statements for last three years.

S.N.	Head	Comparative Statement (Rs. In Lacs)		
		2015-16	**2016-17**	**2017-18**
(A)	**Funding :-**			
1	Share Capital	50,00,000	50,00,000	50,00,000
2	Prorata Income	-	1,16,694	1,55,76,502
3	Other Income	1,43,973	4,46,474	20,52,320
(B)	**Expenditure :-**			
4	Other Expenses including salary	2,26,777	30,46,364	81,24,526
(C)	**Profit :-**			
5	Net Profit	-82,804	-24,83,196	95,04,295
6	Net profit after income tax and dividend	-82,804	-24,83,196	59,46,243
7	Dividend with income tax on Dividend	-	-	6,01,800

4. Special initiatives and achievements of the year-

The following steps are being taken in view of present requirement in various Buildings constructed by Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd., Jaipur.

(A) Energy Conservation - The conservation of energy is taken care of in all possible areas likes, saving electricity and power consumption and receives highest

(क) इण्डियन ग्रीन बिल्डिंग काउन्सिल ऑफ सी आई आई (आईजीबीसी) – नवीन एवं प्रगतिरत परियोजनाओं में हरित विशिष्टतायें प्रतिरूपित तथा कार्यान्वित करने के लिए परामर्शकारी सेवायें प्राप्त किये जाने हेतु।

(ख) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसीएंसी (बीईई)– नवीन एवं प्रगतिरत परियोजनाओं में ऊर्जादक्ष विशिष्टताओं का समावेशन किए जाने हेतु भवनों के डिजाईन व योजनाओं की समीक्षा में तकनीकी सहायता प्राप्त किए जाने के क्रम में।

2. प्रौद्योगिकी अवशोषण– आलौच्य वर्ष के दौरान प्रबन्धन ने प्रौद्योगिकी के अवशोषण तथा उसके अनुकूलन के प्रति निरन्तर व अविरत प्रयास सुनिश्चित किये है, जैसे–

(क) तैयार शुदा कन्क्रीट
(ख) कन्क्रीट व्हे–बैचर
(ग) लाईट वेट कन्क्रीट ब्लाक्स (ए.सी.सी. ब्लाक)
(घ) पूर्व निर्मित दरवाजे व खिड़कियां

5. सार–संक्षेप– पुलिस विभाग के लिए निर्माण कार्यो की गुणवत्ता, लागत राशि की बचत एवं बजट राशि का समय पर उपयोग किये जाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड (RPHCCL) का गठन किया गया है। निगम के द्वारा कराये जा रहे कार्य वित्तीय वर्ष 2016–17 मे रूपये 11111.79 लाख, जो वित्तीय वर्ष 2017–18 में रूपये 26627.88 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में रूपये 37077.32 लाख के हो गये हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान निगम द्वारा निम्नांकित परियोजनाएं समय पर पूर्ण कर संबंधित विभाग को संभलवायी जा चुकी हैं।

1. पुलिस थान करधनी का प्रशासनिक भवन एवं आवासीय भवन
2. पुलिस थाना दांतारामगढ जिला सीकर का प्रशासनिक भवन
3. सहायक पुलिस आयुक्त चौमू का आवासीय भवन
4. पुलिस थाना कालाडेरा जिला जयपुर में आवासीय भवन

attention of the Management on a continuous basis. In this regard the Company is joining hands with several energy efficient/ conservation regulators of the country, such as:

1. Indian Green Building Council of C.I.I. (IGBC) - To avail advisory services in designing and implementing of green features in new and ongoing Projects.

2. Bureau of Energy Efficiency (BEE) - To avail technical support to review design and plans of building and incorporation of Energy Efficient features in new and ongoing projects.

(B) Technology Absorption - During the year under review, the management has ensured continued and sustained efforts towards absorption of technology and adaptation of the same, suchas:

1. Ready-Mix Concrete
2. Concrete Weigh Batcher
3. Light weight concrete blocks (ACC block)
4. Pre-Fabricated Doors and Windows

5. Executive Summary - Rajasthan Police Housing and Construction Corporation Limited has been constituted for the purpose of utilizing the quality of construction works, cost saving and utilization of budget funds for the Police Department. Work executed by Corporation in the financial year- 2016-17 is Rs. 11111.79 lacs which is Rs. 26627.88 lacs in the financial year- 2017-18 and in the financial year- 2018-19, it has become Rs. 37077.32 lacs. During year 2018-19 following buildings have been completed in time and handed over.

1. Administrative and Residential Building of Police Station, Kardhani.
2. Administrative Building of Police Station Dantaramgarh District Sikar.
3. Residential Building of Assistant Commissioner of Police Chomu.
4. Residential Building of Police Station Kaladera District Jaipur.

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय: कमरा सं. 756, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी स्कीम, जयपुर (राज.)
सीआईएन: यू45201आरजे2013एसजीसी043014,
ईमेल आई डी: rphccl@rajasthan.gov.in दूरभाष सं. 2740784

वार्षिक साधारण सभा का नोटिस

एतद् द्वारा सूचित दिया जाता है कि राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड के सदस्यों की 5वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय परिसर के कमरा सं. 134, प्रथम मंजिल, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी स्कीम, राजस्थान जयपुर में सोमवार, 10 दिसम्बर 2018 को अपरान्ह 4.30 बजे निम्नलिखित व्यवसायों के संव्यवहार के लिए होना अनुसूचित है।

अनुलग्नक – अ
(5 वीं वार्षिक साधारण सभा में व्यवहृत किए जाने वाले व्यवसाय)

सामान्य व्यवसाय

मद सं. 1

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित वार्षिक वित्तीय लेखों एवं उन पर निदेशकों व अंकेक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त, विचारित एवं अंगीकृत करना।

साधारण व्यवसाय के रूप में निम्नलिखित संकल्पों को सामान्य व्यवसाय के रूप में पारित करना :

संकल्प किया गया कि 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण के साथ ही निदेशक व अंकेक्षकों के प्रतिवेदन को सभा के समक्ष रखा गया व अंशधारकों को संचरित किया जा कर प्राप्त विचारित व अंगीकृत किया गया।

आगे संकल्प किया गया कि कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक को उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी बनाने के लिए सभी कृत्य, संलेख व कार्य जो कि आवश्यक व प्रासंगिक हो, करने के लिए एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

मद सं. 2

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशों के अनुसार वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति पर विचार करना।
निम्नलिखित संकल्पों को सामान्य व्यवसाय के रूप में पारित करना:

संकल्प किया गया कि कम्पनीज् अधिनियम, 2013 की धारा 139 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार

RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED

(GOVERNMENT OF RAJASTHAN UNDERTAKING)

Regd. Office: Room No. 756, Police Headquarters,Lal Kothi Scheme Jaipur (RAJ.) CIN: U45201RJ2013SGC043014-Email ID:-rphccl@rajasthan.gov.in-PhoneNo.0141-2740784

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 5th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Limited is scheduled to be held on Monday, 10th December, 2018 at 04:30 P.M. in the registered office premises of the Company at Room No. 134, First Floor, Police Headquarters, Lal Kothi Scheme, Jaipur (Raj.), to transact the following business.

ANNEXURE - A

(BUSINESS TO BE TRANSACTED AT THE 5TH ANNUAL GENERAL MEETING)

ORDINARY BUSINESS:-

ITEM NO. 1

TO RECEIVE, CONSIDER AND ADOPT THE AUDITED ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018 AND THE DIRECTOR'S REPORT AND AUDITORS' THEREON.

To pass the following resolution as an **Ordinary Business:**

"**RESOLVED THAT** the Audited Balance Sheet, statement of Profit and Loss Account and Cash Flow Statement for the financial year ended March 31, 2018 along with the Auditor's Report and the Board's Report as circulated to the shareholders and laid before the meeting, be received, considered and adopted.

RESOLVED FURTHER THAT the Managing Director of the Company be and is hereby authorized to do all such acts and deeds, as may be necessary to give effect to the above resolutions."

ITEM NO. 2

TO CONSIDER THE APPOINTMENT OF STATUTORY AUDITOR AS PER THE DIRECTIONS OF COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA (CAG).

To pass the following resolution as an **Ordinary Business:**

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने उनके पत्र सं. सीएवी/राजस्थान, रापुआनिनिलि(1)/1325 दिनांक 01/10/2018 द्वारा मैसर्स जैन श्रीमाल एण्ड कम्पनी, सनदी लेखाकार को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित पारिश्रमिक के साथ अन्य देय खर्चों पर कम्पनी का वैधानिक अंकक्षेक की नियुक्ति को एतद् द्वारा उनके स्वीकृति पत्र के अधीन, पुष्टि की जाती है और मंजूरी दी जाती है।

इसके आगे संकल्प किया गया कि कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक को उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी बनाने के लिए सभी कृत्य, संलेख व कार्य, जो कि आवश्यक व प्रासंगिक हो, करने के लिए एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

मद सं. 3

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अन्तिम लाभांश घोषित करना

निम्नलिखित संकल्पों को सामान्य व्यवसाय के रूप में पारित करना:

संकल्प किया गया कि 31 मार्च 2018 को कम्पनी की प्रदत्त पूंजी पर मण्डल द्वारा अनुशंसित किए जाने पर 10/- रू. प्रति समता अंश की दर से राशि रु. 5,00,000 का अन्तिम लाभांश, राजस्थान सरकार को एतद् द्वारा घोषित किया जाता है।

इसके आगे संकल्प किया गया कि कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक को उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी बनाने के लिए सभी कृत्य, संलेख व कार्य, जो कि आवश्यक व प्रासंगिक हो, करने के लिए एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

विशेष व्यवसाय

मद सं. 4

कम्पनी के ''संस्थापन प्रलेख'' (मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन) में परिवर्तन पर विचार व अनुमोदन

निम्नलिखित संकल्पों को **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना :

संकल्प किया गया कि कम्पनीज्, अधिनियम, 2013 की धारा 13 के साथ सपठित धारा 4 एवं अन्य लागू प्रावधान (वैधानिक संशोधन एवं तत्समय प्रवृत पुनः विधान सहित) तथा सक्षम विभाग/प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन कम्पनी के विद्यमान **''संस्थापन प्रलेख'' (मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन)** को नीचे दी गयी रीति से एतद्द्वारा परिवर्तित किया जाता है।

(क). **कम्पनी के ''संस्थापन प्रलेख'' (मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन)** के शीर्षक ''कम्पनी अधिनियम 1956'' को ''कम्पनी अधिनिमय 2013'' से प्रतिस्थापित किया जाये।

"**RESOLVED THAT** pursuant to Section 139 of the Companies Act, 2013 and the Rules made there under, the Comptroller and Auditor General of India vide their Letter No./CA.V/ RAJASTHAN, RPHCCL(1)/1325, dated 01/10/2018, has nominated M/s JAIN SHRIMAL & COMPANY, Chartered Accountants, as the Statutory Auditor of the Company for the Financial Year 2018-19 on a remuneration along with out of pocket expenses as may be fixed by the Board of Directors. The Board has taken note of this nomination and has approved the proposal.

RESOLVED FURTHER THAT the Managing Director of the Company be and is hereby authorized to do all such acts and deeds, as may be necessary to give effect to the above resolutions."

ITEM NO. 3

TO DECLARE FINAL DIVIDEND FOR THE FINANCIAL YEAR 2017-18.

To pass the following resolution as an **Ordinary Business:**

"**RESOLVED THAT** a final dividend of Rs. 10 per equity share on the paid-up capital of the Company, amounting to Rs. 5,00,000/-, as on March 31st, 2018 and as recommended by the Board be and is hereby declared to the Government of Rajasthan.

RESOLVED FURTHER THAT the Managing Director of the Company be and is hereby authorized to do all such acts and deeds, as may be necessary to give effect to the above resolutions."

SPECIAL BUSINESSES: -

ITEM NO. 4

TO CONSIDER AND APPROVE ALTERATION OF MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY

To pass the following resolution as a **Special Resolution**: -

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 13 read with Section 4 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, and read with Rules and Regulations made thereunder, (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) and subject to the approval of competent department/ authority, the existing Memorandum of Association of the Company ("Memorandum") be and is hereby altered as and in the manner herein below provided:

A. The word "THE COMPANIES ACT, 1956", in the headings of the Memorandum of Association of the Company be substituted with the words "THE COMPANIES ACT, 2013".

ख. कम्पनी के संस्थापन प्रलेख के खण्ड III बी के शीर्षक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :

''उपबन्ध III ए में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के अग्रेषण में आवश्यक प्रकरण''

ग. कम्पनी के संस्थापन प्रलेख (मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन) के उपबन्ध III बी के उपाबन्धों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए।

1. उपबन्ध III बी उपाबन्ध 17 को निम्नानुसार पढा जाए :

कम्पनी के हितो को प्रोत्साहित किए जाने व उद्देश्यों को पूर्ण किए जाने हेतु राजस्थान सरकार, भारत सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार या नैगम्य निकाय या स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी व्यक्ति के साथ संव्यवहार करना तथा ऐसी सरकार स्थानीय प्राधिकरण, नैगम्य निकाय या ऐसे व्यक्ति से किसी प्रकार के लेखाचित्र (रूप रेखा), सहायिकी ऋण, क्षतिपूर्ति, अनुदान, संविदा, अनुज्ञापत्र, अधिकार, छूट, विशेषाधिकार या लाभार्थी प्रतिरक्षायें जिन्हे कम्पनी लिया जाना उचित/ वांछनीय मानती है, आदि व्यवस्थाओं, अधिकारों, विशेषाधिकारों तथा छूट का उपयोग, अनुपालन करना।

2. उपबन्ध III (बी) का उपाबन्ध 20 को निम्नानुसार पढा जाए :

''निक्षेप पर धन राशि प्राप्त करना तथा उसे कम्पनी के उद्देश्यों के लिए उपयोग करना।'' निक्षेपों की स्वीकृति कम्पनीज अधिनियम 2013 की धारा 73 व 76 तथा उनके अन्तर्गत संरचित नियमों के प्रावधानों के अध्यधीन होगी।

घ. कम्पनी के संस्थापन प्रलेख (मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन) के अन्य उद्देश्य वालों उपबन्ध III सी को विलोपित किया गया।

ङ कम्पनी के संस्थापन प्रलेख के उपबन्ध IV को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

''सदस्यों का दायित्व सीमित है तथा यह दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों की अदेय राशि, यदि कोई है, तक सीमित है।''

और आगे संकल्प किया गया कि प्रबन्ध निदेशक प्राधिकृत कम्पनी रजिस्ट्रार तथा/या कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत एवं यथापेक्षित तथा ऐसे अन्य प्राधिकारियों के यहां आवश्यक आवेदन, प्रपत्र, विवरणिका आदि पर हस्ताक्षर करने दायर करने, निष्पादित करने तथा आवश्यक संलेख व कार्य करने तथा विभिन्न सरकारी, न्यायिक, अर्द्ध–न्यायिक वैधानिक, स्थानीय तथा अन्य प्राधिकारियों के समक्ष कम्पनी का प्रतिनिधित्व करने हेतु जो कि उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए यथावश्यक हो वृत्तिवको, सलाहकारों, अभिभाषकों इत्यादि की नियुक्ति करने के लिए पृथक–पृथक व्यापक रूप से प्राधिकृत किया जाता है।

मद सं. 5

कम्पनीज अधिनियम 2013 के अनुसार संस्थापन विधान/नियम (आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन) (सारणी–एफ) का अंगीकरण

B. The heading of Clause III B of the Memorandum of Association of the Company be substituted as under:

"MATTERS WHICH ARE NECESSARY FOR FURTHERANCE OF THE OBJECTS SPECIFIED IN CLAUSE III (A)"

C. The following Sub Clauses of the Clause III B of the Memorandum of Association of the Company be substituted as under:

I. Sub Clause 17 of Clause III B be read as under:

"To enter into any arrangement with the Government of Rajasthan, the Government of India, Government of any other State or Corporate Body or Local Authority, or any persons for carrying out the objects of the company or furthering its interests and to obtain from such Government, local authority, Corporate Body or persons, any charts, subsidies, loans, indemnities, grants, contracts, licenses, rights, concessions, privileges or immunities which the company may think it desirable to obtain and exercise and comply with any such arrangements, rights, privileges and concessions."

II. Sub Clause 20 of Clause III B be read as under:

"To receive money on deposit and to utilize the same for the objects for the company. The acceptance of deposit shall be subjected to the provision of section 73 and 76 of the Companies Act, 2013 and the rules framed there under."

D. The Clause III C for Other Objects of the Memorandum of Association of the Company will be deleted.

E. The Clause IV of the Memorandum of Association of the Company be substituted as under:

"The liability of the member(s) is limited and this liability is limited to the amount unpaid, if any, on the shares held by them."

RESOLVED FURTHER THAT the Managing Director, be and is hereby severally authorized to sign, execute and file the necessary applications, forms, returns etc. with the jurisdictional Registrar of Companies and/or such other authorities as may be required under the Companies Act, 2013 and to do all such acts, deeds and things as may be required to give effect to the said resolution including appointment of professionals, consultants, advocates etc. to represent the Company before various government, judicial, quasi-judicial, statutory, local and other authorities."

Item No. 5

ADOPTION OF ARTICLE OF ASSOCIATION (TABLE F) AS PER COMPANIES ACT, 2013

निम्नलिखित संकल्पों को **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना

संकल्प किया गया कि कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13,14 तथा अन्य प्रयोज्य प्रावधान यदि कोई है, तथा उनके अन्तर्गत बनाये गए नियमों व विनियमों के अनुसार सक्षम विभाग/प्राधिकरण के अनुमोदन के अध्याधीन संस्थापन के विधान/नियम (आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन) का नया प्रारूप (सारणी एफ) को एतद् द्वारा अनुमोदित किया जाता है और कम्पनी के पूर्व से विद्यमान ''संस्थापन विधान'' (आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन) के प्रतिस्थापन में अंगीकृत किया जाता है।

इसके आगे संकल्प किया गया कि कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक को विभिन्न कार्यालयों, विभागों, प्रधिकारियों, के समक्ष कम्पनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवश्यक आवेदन प्रपत्र, विवरणिकाये, पत्र, प्रलेख, लेख विवरण पत्र हस्ताक्षरित व निष्पादित करने, कोई शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंध पत्र देने, किन्ही सलाहकारों, अभिभाषकों, परामर्श दाताओं को नियुक्त करने तथा उक्त संकल्प के लिए यथावश्यक ऐसे कृत्यों, कार्यों व संलेखों को करने के लिए एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

कृते रा पु आ नि नि लि
अय्यनू मूपनार पोन्नुचामी
प्रंबध निदेशक
डीआईएन : 07869683

दिनांक : 15.11.2018
स्थान: जयपुर

To pass the following resolution as a **Special Resolution: -**

"**RESOLVED THAT** pursuant to Section 13, 14 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and rules and regulations made thereunder and subject to the approval of competent department/ authority, the draft new set of Articles of Association (Table F), be and is hereby approved and adopted as the Articles of Association of the Company in substitution for the existing Articles of Association thereof.

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Managing Director of the Company be and is hereby authorized to sign, execute and file the necessary applications, forms, returns, papers, documents, writings, statements, to give any affidavit, Indemnity Bond, to appoint any professionals, consultants, advocates, counsels, to represent the Company before the various offices, departments, authorities and to do all such acts, deeds and things as may be required for the aforesaid resolution."

Date: 15.11.2018 **For RPHCCL**
Place: Jaipur

Ayyanu Moopanar Ponnuchamy
Managing Director
DIN: 07869683

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: कमरा सं. 756, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी स्कीम, जयपुर (राज.)

सीआईएन: यू45201आरजे2013एसजीसी043014,

ईमेल आई डी: rphccl@rajasthan.gov.in दूरभाष सं. 2740784

टिप्पणीयाँ

1. **कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार वार्षिक साधारण सभा में संव्यवहृत किए जाने वाले विशेष व्यवसाय से सम्बन्धित मद सं. के सम्बन्ध में एक व्याख्यात्मक विवरण प्रस्तुत प्रपत्रों के साथ संलग्न है और नोटिस का अभिन्न अंश है।**

2. **सदस्य जो उपस्थित होने व मत देने के लिए पात्र है वे स्वयं के निमित्त चुनाव मे उपस्थित होने व मत देने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए पात्र है तथा प्रतिनिधि का कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।**

अधिनियम की धारा 102 के अनुसरण में विस्तृत वक्तव्य :

मद सं. 4 एवं 5 के लिए

कम्पनी के हित में तथा कम्पनीज अधिनियम 2013 के प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों की अनुपालना करने के साथ ही कम्पनी के संस्थापन प्रलेख (मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन) व संस्थापन नियम (आर्टीकल ऑफ एसोसिएशन) में कुछ टंकण अशुद्धियों के सुधार के साथ ही कम्पनीज अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत सारणी एफ का अंगीकरण करते हुए निदेशक मण्डल ने 28.09.2018 को सम्पन्न हुई 22वीं बैठक में संकल्प किया कि चूंकि यह परमावश्यक है कि संशोधनों को (मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन) एवं (आर्टीकल ऑफ एसोसिएशन) में समावेशित किया जाए, निदेशक मण्डल ने ऐसा किए जाने की सहमति दी है, बशर्ते कि कम्पनी सचिव निदेशक मण्डल की आगामी बैठक में या वार्षिक साधारण सभा में विद्यमान प्रावधानों तथा नये परिवर्धनों/ विलोपनों का एक विस्तृत चार्ट संस्थापन प्रलेख एवं संस्थापन नियम के प्रारूप के साथ प्रस्तुत करेगा ताकि निदेशक मण्डल उन परिवर्तनों पर विचार विमर्श कर सके जिन्हे आगे वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाए।

निदेशक मण्डल तद्नुसार विशेष संकल्प को पारित किए जाने की अनुशंषा करता है।

कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार ऊपर वर्णित संकल्प को पारित किए जाने में ना तो किसी भी रुप से सम्बन्धित है और ना ही कोई हित रखते है।

कृते रा पु आ नि नि लि
अय्यनू मूपनार पोन्नुचामी
प्रंबध निदेशक
डीआईएन : 07869683

दिनांक : 15.11.2018
स्थान: जयपुर

RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED
(GOVERNMENT OF RAJASTHAN UNDERTAKING)
Regd. Office: Room No. 756, Police Headquarters,Lal Kothi Scheme Jaipur (RAJ.)
CIN: U45201RJ2013SGC043014-Email ID:-rphccl@rajasthan.gov.in-Tel. 0141-2740784

Notes:

1. **An Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 relating to the Special Business to be transacted at the Annual General Meeting in respect of item no (item no of special business) is annexed hereto and forms part of notice.**

2. **A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTES IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON POLL ON HIS/HER BEHALF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.**

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE ACT:

FOR ITEM NO. 4 & 5

In the interest of the Company and to comply with provisions of Companies Act, 2013 and rules made there under along with corrections of some typographical errors in the existing Memorandum of Association (MOA) and Articles of Association (AOA) along with adoption of Table-F for AOA under Companies Act, 2013 the Board of Directors in their 22nd meeting held on 28.09.2018 have resolved that since it is essential and necessary to incorporate the amendments in the MOA and AOA, the Board has given consent to do so, provided the Practicing Company Secretary shall put up detailed chart of the existing provisions and the new additions/ omissions with draft MOA and AOA in the next Board Meeting or in the Annual General Meeting, so that the board may deliberate on these changes which can be further taken for the approval of members in the Annual General Meeting.

The Board accordingly recommends passing the Special resolutions.

None of the Directors or Key Managerial Personnel or their relative(s) is/are in any way concerned or interested, in passing of the above mentioned resolution.

Date: 15.11.2018 **For RPHCCL**
Place: Jaipur

Ayyanu Moopanar Ponnuchamy
Managing Director
DIN: 07869683

मण्डल/बोर्ड की रिपोर्ट

सदस्यगण,
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड

निदेशकगण कम्पनी के 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अंकेक्षित लेखा विवरण तथा अंकेक्षकों की रिपोर्ट के साथ-साथ कम्पनी के मण्डल/बोर्ड की रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहे है

वित्तीय परिणाम

(राशि रुपये में)

क्र. सं.	वित्तीय परिणाम	31 मार्च 2018 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2017 को समाप्त हुआ वर्ष
1.	व्यापारावर्त (अन्य आय सहित)	17,628,822.00	5,63,168.00
2.	निवल लाभ/हानि (ह्रास तथा कर से पूर्व)	96,27,909.44	(24,74,752.00)
3.	घटाये : ह्रास	1,23,614.18	8,444.00
4.	निवल (लाभ)/ (हानि) कर पूर्व	95,04,295.26	(24,83,196.00)
5.	घटाये: कर हेतु प्रावधान (आस्थागित कर हेतु सहित)	29,56,252.00	0.00
6.	निवल (लाभ)/ (हानि) कर पश्चात	65,48,043.26	(24,83,196.00)

वार्षिक विवरणी का सार

कम्पनी (प्रबन्धन व प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12/(I) के साथ पठित कम्पनीज अधिनियम 2013 की धारा 134(3) (ए) के अन्तर्गत अपेक्षित वार्षिक विवरणी का सार इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-ए के रूप में अभिन्न अंग है।

वित्तीय वर्ष के दौरान सभाऐं

मण्डल सभाऐं

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कम्पनी के निदेशक मण्डल की 4 बार सभाऐं अर्थात् 20.07.2017, 05.09.2017,

BOARD'S REPORT

To
The Members,
RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

Your Directors have pleasure in presenting the Board's Report of the Company together with audited Statement of Accounts and the Auditors' Report of your company for the financial year ended 31st March, 2018.

FINANCIAL RESULTS

(Amount in Rs.)

S. No.	Financial Results	Year ended on 31st March, 2018	Year ended on 31st March, 2017
1.	Turnover (including Other Income)	17,628,822.00	5,63,168.00
2.	Net Profit/Loss (before depreciation and tax)	96,27,909.44	(24,74,752.00)
3.	Less: Depreciation	1,23,614.18	8,444.00
4.	Net Profit/(Loss) before tax	95,04,295.26	(24,83,196.00)
5.	Less: Provision for Tax (including for deferred tax)	29,56,252.00	0.00
6.	Net Profit/(Loss) after tax	65,48,043.26	(24,83,196.00)

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

The Extract of Annual Return required under Section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013 read with Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, forms part of this report as Annexure-A.

MEETINGS DURING THE FINANCIAL YEAR

BOARD MEETINGS

During the financial year 2017-18, the Board of Directors of the Company duly met 4

03.01.2018 तथा 20.02.2018 को हुई। कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत उल्लेखित समयावधि के अनुसार क्रमिक दो सभाओं के बीच मध्यवर्ती अन्तर विहित अवधि के अन्दर था।

साधारण सभा

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान कम्पनी के सदस्यों की वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 29.09.2017 को चतुर्थ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न हुई ।

निदेशकों एवं मुख्य प्रबन्धन कार्मिक (केएमपी)

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान निदेशक मण्डल में निम्नानुसार परिवर्तन हुए :

क्र.स.	निदेशक का नाम	नियुक्ति/स्थानान्तरण	घटना की तिथि
1	श्री जसवन्त सम्पतराम	स्थानान्तरण	26.06.2017
2	श्री अय्यानु मूपनार पौन्नूचामी	नियुक्ति	20.06.2017
3	श्री अलोक ब्रजेश्वर कुमार सिन्हा	नियुक्ति	05.09.2017
4	श्री सुरेश चन्द दिनकर	स्थानान्तरण	05.09.2017
5	श्री देवेन्द्र भूषण गुप्ता	स्थानान्तरण	05.09.2017
6	श्री सुबीर कुमार	स्थानान्तरण	05.09.2017
7	श्री मनोज भट्ट	स्थानान्तरण	05.09.2017
8	श्री मनीष चौहान	नियुक्ति	05.09.2017
9	श्री अजीत सिंह	स्थानान्तरण	03.01.2018
10	कपिल गर्ग	नियुक्ति	22.02.2018
11	श्री भुपेन्द्र सिंह	नियुक्ति	22.02.2018
12	श्री सुरेन्द्र कुमार सौलंकी	नियुक्ति	22.02.2018

इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिक से सम्बन्धित प्रावधान प्रयोज्य नहीं थे।

times i.e. on 20.07.2017, 05.09.2017, 03.01.2018 and 20.02.2018. The intervening gap between any two consecutive meetings was within the period prescribed under the Companies Act, 2013.

GENERAL MEETING

During the financial year 2017-18, the members of the company met once in the Fourth Annual General Meeting of the company for the financial year 2016-17 on 29.09.2018.

DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL (KMP)

During the financial year 2017-18, following changes took place in the Board of Directors:

S. No.	Name of Director	Appointment/ Transfer	Date of Event
1.	Shri Jaswant Sampatram	Transfer	20.06.2017
2.	Shri Ayyanu Moopanar Ponnuchamy	Appointment	20.06.2017
3.	Shri Alok Brajeshwar Kumar Sinha	Appointment	05.09.2017
4.	Shri Suresh Chandra Dinker	Transfer	05.09.2017
5.	Shri Devendra Bhaushan Gupta	Transfer	05.09.2017
6.	Shri Subir Kumar	Transfer	05.09.2017
7.	Shri Manoj Bhatt	Transfer	05.09.2017
8.	Shri Maneesh Chauhan	Appointment	05.09.2017
9.	Shri Ajit Singh	Transfer	03.01.2018
10.	Shri Kapil Garg	Appointment	22.02.2018
11.	Shri Bhupendra Singh	Appointment	22.02.2018
12.	Shri Surendra Kumar Solanki	Appointment	22.02.2018

Further, the provisions related to KMP were not applicable for the Financial Year 2017-18.

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कम्पनीज अधिनियम 2013 की धारा (134) के अुनसार निदेशक मण्डल, जहाँ तक उन्हें ज्ञान एवं विश्वास है, पुष्टि करता है कि :

1. वार्षिक लेखे तैयार करने में प्रयोज्य लेखांकन मानकों तथा तात्विक विचलनों से सम्बंधित उचित विवरणों का अनुसरण किया गया है।

2. वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी की तथ्यात्मक स्थितियों तथा उस अवधि के कम्पनी के लाभ/हानि का सत्य एवं निष्पक्ष परिदृश्य उपलब्ध कराने के लिए निदेशकों ने उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन कर समनुरूपता से प्रयुक्त किया एवं निर्णय किए, जो कि युक्तियुक्त व उचित है।

3. कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा करने तथा कपट व अन्य अनियमितताओं को रोकने व प्रकट करने लिए निदेशक मण्डल ने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के संधारण का उचित व पर्याप्त ध्यान रखा है।

4. निदेशक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखे निरन्तरता में विद्यमान कारोबार के आधार पर तैयार किए है।

5. धारा 134(5) का उपाबन्ध (ई) प्रयोज्य नहीं है, क्योंकि कम्पनी एक सूचीबद्ध कम्पनी नहीं है।

6. निदेशकों ने सभी प्रयोज्य विधियों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों लागू की है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थी तथा प्रभावी रूप से कार्यरत है।

इसके अतिरिक्त कम्पनी ने वित्तीय विवरण तैयार किए जाने में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानों के साथ ही सामान्य वित्तीय एवं लेखानियम तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग वित्तीय एवं लेखा नियम के साथ–साथ राज्य सरकार की सभी अध्यधीन अधिसूचनाओं को अंगीकार किया है।

अंकेक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार कपट की विस्तृतियां

31.03.2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी में किसी प्रकार का कोई कपट नहीं हुआ है। इसकी पुष्टि अंकेक्षकों की रिपोर्ट से भी होती है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट में 31.03.2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कोई कपट प्रतिवेदित नहीं है।

वैधानिक अंकेक्षक द्वारा प्रतिवेदित अर्हताओं, प्रतिकूल अभियुक्ती अथवा अस्वीकृतियों पर निदेशक मण्डल के कथन :

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to Section 134 of the Companies Act, 2013, the Directors, to the best of their knowledge and belief, confirm that:

1. In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

2. The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

3. The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

4. The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

5. Clause (e) of section 134(5) is not applicable as the Company is not a listed Company

6. The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Further the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (RTPP ACT, 2012) and Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 (RTPP RULES, 2013) have been adopted by the company along with General Finance and Accounts Rules (GF & AR) and Public Works Department's Finance and Accounts Rules (PWF & AR) together with all the subordinate notifications of State Government while preparing the financial statements.

DETAIL OF FRAUD AS PER AUDITORS REPORT

There is no fraud in the Company during the financial year ended 31.03.2018. This is also being supported by the report of the Auditors of the company as no fraud has been reported in their Audit Report for the financial year ended 31.03.2018.

BOARD'S COMMENTS ON QUALIFICATION, RESERVATION & ADVERSE REMARKS OR DISCLAIMER MADE BY STATUTORY AUDITOR

वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में की गई प्रविष्टिया स्वतः स्पष्ट है, इसलिए कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एफ) के अन्तर्गत अन्य टिप्पणी किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

अन्तर्निगमीय ऋणों प्रत्याभूतियों एवं निवेशों का ब्यौरा :

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान कम्पनी ने कोई निवेश नहीं किया है।

इसके अतिरिक्त कम्पनी ने किसी व्यक्ति या निगम निकाय को कोई प्रत्याभूति या प्रतिभूति नहीं दी है।

सम्बन्धित पक्षकार संव्यवहारों की विशिष्टयां

कम्पनी द्वारा ऐसा कोई भी पारस्परिक संव्यवहार नहीं किया गया है जो सामान्य व्यवसाय क्रम में न हो अतः कम्पनीज (लेखा) नियम, 2014 निमय 8(2) साथ पठित कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एच) के अन्तर्गत यथापेक्षित ऐसी कोई सूचना नहीं है जो दी जानी है।

कम्पनी के कार्यकलाप की स्थिति :

यह अनिवार्य है कि हमारी कम्पनी के कार्य कलाप उचित एवं पारदर्शी रीति से व्यवस्थित हों, जिससे कि हम अपने हितधारियों का विश्वास प्राप्त करें एवं बनायें रखें।

आरक्षित निधि में प्रस्तावित राशि :

31.03.2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान 59,46,243.26 रु का लाभ अर्जित किया गया है। यह प्रस्तावित है कि इस राशि को पिछले वर्ष तक संचित हानियों के समायोजन के पश्चात आरक्षितियों व अधिशेष खाते में ले जाया जाए।

आरक्षित एवं अधिशेष खातों का ऋणात्मक प्रारंम्भिक शेष (29,93,071.00) रु है। तदनुसार इसे चालू वर्ष के लाभ के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा।

इसलिए 29,53,172.26 रु की राशि आरक्षित एवं अधिशेष खाते में ले जाया जाना प्रस्तावित है।

लाभांश :

निदेशक मण्डल वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए 5,00,000.00 रु का लाभांश दिए जाने की सहर्ष अनुशंसा करता है।

Observation made by the Statutory Auditors in their Report are self-explanatory and therefore, do not call for any further comments under section 134(3)(f) of the Companies Act, 2013.

PARTICULARS OF INTER-CORPORATE LOANS & INVESTMENT

During the financial year 2017-18, the Company has not made any investment.

Further the Company has not given any guarantee or security to any person or body corporate.

PARTICULARS OF RELATED PARTY TRANSACTIONS

There are no material related party transactions which are not in ordinary course of business or which are not on arm's length basis and hence there is no information to be provided as required under Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

STATE OF COMPANY'S AFFAIRS

It is imperative that affairs of our Company are managed in a fair and transparent manner. This is vital to gain and retain the trust of our stakeholders.

AMOUNT WHICH IT PROPOSES TO CARRY TO RESERVES

The amount of Rs. 59,46,243.26 is the profit earned during the financial year ended 31.03.2018. It is being proposed to carry this amount, after adjusting accumulated losses up to previous year, into Reserves and Surplus Account.

The negative opening balance of Reserves and Surplus Account is Rs. (29,93,071.00). This will accordingly be adjusted against the profit of current year.

Therefore, an amount of Rs. 29,53,172.26 is proposed to be carried into Reserves and Surplus Account.

DIVIDEND

The Board is pleased to recommend a dividend of Rs. 5,00,000.00 for the financial year 2017-18.

प्रतिबद्धताएं व तात्विक परिर्वतन

कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई तात्विक परिर्वतन तथा प्रतिबद्धतायें घटित नहीं हुई है।

ऊर्जा संरक्षण प्रौद्योगिकी अवशोषण तथा विदेशी मुद्रा अर्जन व परिव्यय :

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण तथा विदेशी मुद्रा अर्जन व परिव्यय के सम्बन्ध में कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत यथापेक्षित विशिष्टयां :
इस संबंध में आपके निदेशकों ने ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण तथा विदेशी मुद्रा अर्जन व परिव्यय के लिए निम्नांकित कदम उठाये हैं :

1. ऊर्जा संरक्षण

सभी सम्भावित क्षेत्रों में विद्युत व ईंधन की बचत के माध्यम से ऊर्जा सरंक्षण का प्रयास प्रबंधन द्वारा सतत् रुप से किया जा रहा है।
इस सम्बन्ध में कम्पनी देश के ऊर्जादक्ष/संरक्षण नियामकों से निरन्तर सम्पर्क में है, जैसे:

क. इण्डियन ग्रीन बिल्डिंग काउन्सिल ऑफ सी आई आई (आईजीबीसी)
नवीन एवं प्रगतिरत परियोजनाओं में हरित विशिष्टतायें प्रतिरूपित तथा कार्यान्वित करने के लिए परामर्शकारी सेवायें प्राप्त किए जाने हेतु।

ख. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसीएंसी (बीईई)
नवीन एवं प्रगतिरत परियोजनाओं में ऊर्जादक्ष विशिष्टताओं का समावेशन किए जाने हेतु भवनों के डिजाईन व योजनाओं की समीक्षा में तकनीकी सहायता प्राप्त किए जाने के क्रम में।

2. प्रौद्योगिकी अवशोषण

आलोच्य वर्ष के दौरान प्रबन्धन ने प्रौद्योगिकी के अवशोषण तथा उसके अनुकूलन के प्रति निरन्तर व अविरत प्रयास सुनिश्चित किये है, जैसे

क. तैयार शुदा कन्क्रीट

ख. कन्क्रीट व्हे–बैचर

ग. पूर्व निर्मित दरवाजे व खिड़कियां

MATERIAL CHANGES & COMMITMENTS

There have been no material changes and Commitment affecting the financial position of the Company which has occurred between the end of the financial year of the Company to which the financial statements relate and date of the Report.

PARTICULARS OF CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION & FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

The particulars, as required under the provisions of section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014, in respect of Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo.

In this regard, your Directors have taken all the possible steps for Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earning and Outgo:

1. ENERGY CONSERVATION -

The conservation of energy is taken care of in all possible areas like, saving electricity, fuel and power consumption and receives highest attention of the Management on a continuous basis. In this regard the company is joining hands with several energy efficient/ conservation regulators of the country, such as:

a. Indian Green Building Council of CII (IGBC)
To avail advisory services in designing and implementing of green features in new and ongoing projects.

b. Bureau of Energy Efficiency (BEE)
To avail technical support to review design and plans of building and incorporation of Energy Efficient features in new and ongoing projects.

2. TECHNOLOGY ABSORPTION -

During the year under review, the management has ensured continued and sustained efforts towards absorption of technology and adaptation of the same, such as:

a. Ready-Mix Concrete

b. Concrete Weigh Batcher

c. Prefabricated Doors & Windows

घ. भूकम्प प्रतिरोधी भवन सरंचना

ङ. नदी की बजरी के स्थान पर निर्मित बजरी का उपयोग

3. विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान विदेशी मुद्रा का कोई संव्यवहार नहीं हुआ है।

जोखिम प्रबन्धन नीति का विकास व कार्यान्वयन

कम्पनी के प्रबन्धन ने कम्पनीज अधिनियम 2013 की अपेक्षानुसार जोखिम प्रबन्धन नीति को विधिवत अंगीकार किया है इसके अतिरिक्त उन्होंने इसे क्रियान्वित करते हुए जोखिम के विभिन्न अवयवों की पहचान की है, जो कम्पनी के अस्तित्व के लिए खतरा हो सकते है।

कम्पनी के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व विवरण

कम्पनीज अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान उन्हीं कम्पनियों पर प्रयोज्य है जिनकी निवल योग्यता 500.00 करोड रूपये या अधिक तथा व्यापारावर्त 1000.00 करोड रु या अधिक या निवल लाभ 5.00 करोड रु तथा अधिक है।
चूंकि कम्पनी किसी भी सीमा में आवृत नहीं होती है, अत: उपरोक्त प्रावधान कम्पनी के लिए प्रयोज्य नहीं है।

संयुक्त उद्यम/सहयुक्त या अनुषंगी कम्पनियां

कम्पनी किसी संयुक्त उद्यम से अथवा सहयुक्त अनुषंगी कम्पनीयों से नहीं जुड़ी है।

निक्षेप

निदेशक मण्डल उल्लेख करता है कि कम्पनी अपना प्रत्येक निवेश/पूंजी सरकार से प्राप्त करती है इसलिए अधिनियम के अध्याय V के अन्तर्गत आवृत निक्षेपों से सम्बन्धित विस्तृतियों के बारे में किसी प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में कोई निक्षेप नहीं थे।

कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम 2013 के अन्तर्गत प्रकटीकरण

वर्तमान में कम्पनी में कोई भी महिला कर्मचारी नहीं है परन्तु महिला आगन्तुकों को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त रखने के लिए हमने कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम 2013 तथा उसके

d. Earthquake Resistant Building Structure

e. Use of M-Sand (Manufactured Sand) instead of River Sand

3. FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO -

There has been no foreign transaction in the financial year 2017-18.

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY

The management of the company has duly adopted the Risk Management Policy as per the requirement of the Companies Act, 2013. Further, they had taken adequate care in its implementation by identifying various elements of risk which may cause serious threat to the existence of the company.

DETAILS OF COMPANY'S CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

The provisions of section 135 of the Companies Act, 2013 regarding CSR are applicable to the companies whose Net Worth is Rs. 500.00 Crore and above, Turnover of Rs. 1,000.00 Crore and above or Net Profit of Rs. 5 Crore and above. Since the company does not fall under any of the limits, the provisions are not applicable to the company.

JOINT VENTURE/ ASSOCIATE OR SUBSIDIARY COMPANIES

The company has not entered into any Joint Venture and does not have any Associate or Subsidiary Companies.

DEPOSITS

The Board states that the company receives its every investment/ capital from Government, therefore no disclosure or reporting was required in respect of the details relating to deposits covered under Chapter V of the Act as there were no deposits during the financial year 2017-18.

DISCLOSURE UNDER SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

At present, there are no female employees in the company but to take care of female visitors from any kind of harassment, we have got consent of Internal Complaint

अन्तर्गत बनाये गये नियमों की अपेक्षानुसार पुलिस मुख्यालय द्धारा गठित आन्तरिक शिकायत समिति में भागीदारी की सहमति प्राप्त की है जिससे की कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न व लिंग पूर्वाग्रहों के भय से मुक्त वातावरण का सृजन सुनिश्चित किया जा सके।

निदेशक मण्डल, उल्लेख करता है कि कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम 2013 के अनुसरण में कोई भी प्रकरण या शिकायत प्राप्त नहीं की गई है।

विनियामको/न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों द्वारा पारित आदेश

वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी के मामलों में विनियामकों/ न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों द्वारा कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण

कम्पनी ने इसके कार्य परिचालन के आकार, पैमाने व जटिलताओं के अनुरुप यथेष्ट वित्तीय नियंत्रण पद्धति संधारित की है एवं विभिन्न नीतियों, अभ्यासों, रीतियों से इसकी अनुपालना सुनिश्चित की है जिससे कम्पनी की प्रगति निरन्तर हो।

कर्मचारियों की विशिष्टतायें

सम्पूर्ण वर्ष या वित्तीय वर्ष के किसी भाग में कार्य करने वाले कोई भी कर्मचारी कम्पनीज नियुक्ति तथा परिश्रमिक नियम 2014 के नियम इ(2) के साथ पाठित कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) में उल्लेखित सीमा रेखा से अधिक परिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहे है।

व्यवसाय में अपरिर्वतन

आपके निदेशकगण सूचित करना चाहेंगे कि कम्पनी अपना नियमित व्यवसाय किन्ही अन्य उद्देश्यों के प्रति विचलन के बिना कर रही है।

सर्तकता तंत्र

आपके निदेशकगण सूचित करना चाहेंगे कि अभी तक सर्तकता तंत्र स्थापित किए जाने का प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

Committee constituted by Police Headquarters (PHQ) as per the requirement of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013 ('Act') and rules made there under, to ensure healthy working environment without fear of prejudice, gender bias and sexual harassment.

The Board states that there were no cases or complaints filed pursuant to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

ORDERS PASSED BY REGULATORS/COURTS/TRIBUNALS

There is no such order passed by the Regulators/Courts/Tribunals in respect to the Company during the financial year.

INTERNAL FINANCIAL CONTROLS

The Company has maintained adequate financial control system, commensurate with the size, scale and complexity of its operations and ensures compliance with various policies, practices and statutes in keeping with the organization's pace of growth and increasing complexity of operations.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

None of the employees who have worked throughout the year or a part of the financial year were getting remuneration in excess of the threshold mentioned under Section 197(12) of the Act read with rule 5(2) of Companies (Appointment and Remuneration) Rules, 2014.

NO CHANGES IN THE BUSINESS

Your Directors would like to inform that Company is doing its regular business without any deviation to other objects.

VIGIL MECHANISM

Your Directors would like to inform that till now provisions of establishment of Vigil Mechanism do not apply to the Company.

आभारोक्ति

आपके निदेशकगण अंशधारियों, विभिन्न प्रधिकारियों, बैंको, व्यापारियों, विक्रेताओं द्वारा दिये गए सहयोग तथा समर्थन के लिए उनकी सराहना ज्ञापित करते है।

निदेशकगण, कम्पनी के समस्त कर्मचारियों द्वारा किए गए समर्पित प्रयासों तथा बहुमूल्य योगदान के लिए कृतज्ञतापूर्वक आभार भी व्यक्त करते है।

कृते तथा निदेशक मण्डल के निमित्त
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड

दिनांक : 28.09.2018	**ए. पोन्नुचामी**	**आलोक त्रिपाठी**
स्थान : जयपुर	प्रबन्ध निदेशक	निदेशक
	डीआईएन : 07869683	डीआईएन : 07653593

ACKNOWLEDGEMENT

Your Directors wish to place on record their appreciation for the co-operation and support extended by the Share Holders, various authorities, banks, dealers and vendors.

The Directors also acknowledge with gratitude the dedicated efforts and valuable contribution made by all the employees of the Company.

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS OF RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED

DATE: 28.09.2018	**A. PONNUCHAMY**	**ALOK TRIPATHI**
PLACE: JAIPUR	**MANAGING DIRECTOR** **DIN: 07869683**	**DIRECTOR** **DIN: 07653593**

प्रपत्र संख्या एमजीटी–9

वार्षिक विवरणी का उद्धरण

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष को

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में)

I. पंजीयन एवं अन्य ब्यौरे :

i)	सीआईएन	यू45201आरजे2013एसजीसी043014
ii)	पंजीयन दिनांक	22 जून, 2013
iii)	कम्पनी का नाम	राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड़
iv)	कम्पनी का प्रवर्ग/उप–प्रवर्ग	राज्य सरकार की कम्पनी
v)	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क हेतु ब्यौरा	कमरा सं. 756, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर 302015
vi)	क्या सूचीबद्ध कम्पनी है	नहीं
vii)	रजिस्ट्रार एवं अन्तरण अभिकर्त्ता का नाम, पता तथा संपर्क हेतु ब्यौरा, यदि कोई है	कोई रजिस्ट्रार व अन्तरण अभिकर्ता नहीं

II. कम्पनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का वर्णन एवं नाम	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड़	कम्पनी के कुल व्यापारावर्त्त का प्रतिशत
1	आवासीय योजनाओं, कार्यालयों, कारागृहों, पुलिस स्टेशन, पुलिसचौकी, पुलिस लाइन, प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस, होमगार्ड़, कारागार के कर्मचारियों एवं गृह विभाग, राजस्थान सरकार के अन्य कार्मिकों के लिये आवास के सिविल निर्माण कार्य।	41	100 प्रतिशत

Form No. MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN
As on the financial year ended on 31.03.2018

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014]

1. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i)	CIN	U4520RJ2013SGC043014
ii)	Registration Date	22/06/2013
iii)	Name of the Company	Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Limited
iv)	Category/ Sub-Category of the Company	State Government Company
v)	Address of the Registered office and contact details	Room No.756, Police Head Quarters, Lal Kothi, Jaipur-302015 Rajasthan
vi)	Whether listed company	No
vii)	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	No Registrar and Transfer Agent

2. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

Sl. No.	Name and Description of Main Products / Services	NIC Code of the Product/ Service	% to total Turnover of the Company
1	Civil construction work of housing schemes, offices, jails, police stations, police posts, police lines, training institutions, accommodations for employees of police, Home Guard, jails and other personals of Home department, Government of Rajasthan	41	100%

III. नियंत्रक, समनुषंगी तथा सहयुक्त कम्पनी के विवरण–

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा पता	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्रक समनुषंगी/सहयुक्त	धारित अंशो का प्रतिशत	प्रयोज्य धारा
1.	–	–	–	–	–

IV. अंश धारण पद्वति (कुल समता का यथा प्रतिशत के समता अंश पूंजी का विघटन)

i. श्रेणीवार अंशधारिता

अंशधारक का प्रवर्ग	वर्ष के प्रारम्भ में धारित अंशों की संख्या (31मार्च, 2017 तक)				वर्ष के अंत में धारित अंशों की संख्या (31मार्च, 2018 तक)				वर्ष के दौरान परिवर्तन– प्रतिशत में
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का प्रतिशत	
ए) प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
ए. व्यष्टि/हिन्दु अविभक्त कुटुंब	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बी. केन्द्रीय सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सी. राज्य सरकार (रें)	–	–	–	–	–	49994	49994	99.98%	99.98%
डी. निकाय निगम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई. बैक्स/एफआई	–	–	–	–	–	–	–	–	–
एफ. कोई अन्य (राज्य सरकार विभागों के अधिकारी आईपीएस/आईएएस)									
श्री सुरेश चन्द्र दिनकर (राज्य सरकार की ओर से)	-	49994	49994	99.98%	–	–	–	_	99.98%
श्री देवेन्द्र भूषण गुप्ता	–	1	1	0.002%	–	–	–	–	0.002%
श्री मनोज भट्ट	–	1	1	0.002%	–	–	–	–	0.002%
श्री सुबीर कुमार	–	1	1	0.002%	–	–	–	–	0.002%
श्री आलोक त्रिपाठी	–	1	1	0.002%	–	1	1	0.002%	–
श्री जसवन्त सम्पतराम	–	1	1	0.002%	–	–	–	–	0.002%
श्री अजीत सिंह	–	1	1	0.002%	–	–	–	–	0.002%
श्री अलोक	–	–	–	–	–	1	1	0.002%	0.002%
श्री मनीष चौहान	–	–	–	–	–	1	1	0.002%	0.002%

3. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES -

S. No.	Name of Address of the Company	CIN/GLN	Holding/ Subsidiary /Associate	% of shares held	Applicable Section
1.	-	-	-	-	-

4. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise Share Holding

Category of shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year (As on 31-March-2017)				No. of Shares held at the end of the year (As on 31-March-2018)				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A) Promoters									
(1) Indian									
a. Individual/ HUF	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b. Central Govt	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c. State Govt (s)	–	–	–	–	–	49994	49994	99.98%	99.98%
d. Bodies Corp.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
e. Banks/FI	–	–	–	–	–	–	–	–	–
f. Any other (IPS & IAS officers Representing State Govt. Departments)									
Shri Suresh Chandra Dinkar (on behalf of State Govt.)	-	49994	49994	99.98%	-	-	-	-	99.98%
Sh Devendra Bhushan Gupta	–	1	1	0.002%	–	–	–	–	0.002%
Sh Manoj Bhatt	–	1	1	0.002%	–	–	–	–	0.002%
Sh Subir Kumar	–	1	1	0.002%	–	–	–	–	0.002%
Sh. Alok Tripathi	–	1	1	0.002%	–	1	1	0.002%	–
Sh Jaswant Sampatram	–	1	1	0.002%	–	–	–	–	0.002%
Sh Ajit Singh	–	1	1	0.002%	–	–	–	–	0.002%
Sh. Alok	–	-	-	–	–	1	1	0.002%	0.002%
Sh. Maneesh Chouhan	–	-	-	–	–	1	1	0.002%	0.002%

अंशधारक का प्रवर्ग	वर्ष के प्रारम्भ में धारित अंशों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित अंशों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन–प्रतिशत में
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का प्रतिशत	
श्री ए. पोन्नुचामी	–	–	–	–	–	1	1	0.002%	0.002%
श्री कपिल गर्ग	–	–	–	–	–	1	1	0.002%	0.002%
श्री भूपेन्द्र सिंह	–	–	–	–	–	1	1	0.002%	0.002%
प्रवर्तकों की कुल अंशधारिता (ए)	–	50000	50000	100%	–	50000	50000	100%	100%
बी) सार्वजनिक अंशधारिता									
1. संस्थाएं									
ए. पारस्परिक निधियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बी. वित्तीयसंस्थाएं/बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सी. केन्द्रीय सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
डी. राज्य सरकार (रें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई. जोखिम पूंजी निधियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
एफ. बीमा कम्पनियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जी. विदेशी संस्थागत विनिवेशकर्त्ता	–	–	–	–	–	–	–	–	–
एच. विदेशी साहसी पूंजी निधियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
आई. अन्य (उल्लेख करें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप–योग बी(1)	–	0.00	0.00	0.00	–	0.00	0.00	0.00	0.00
2. गैर संस्थाएं									
ए. निगमित निकाय									
i) भारतीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) विदेशी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बी. व्यष्टि	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i) एक लाख रुपये तक की अभिहित अंश पूंजीधारक व्यष्टि	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) एक लाख रुपये से अधिक अभिहित अंश पूंजीधारक व्यष्टि	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सी. अन्य (उल्लेख करें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
अप्रवासी भारतीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
विदेशी निगम निकाय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
विदेशी नागरिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समाशोधन सदस्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Category of shareholders					No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
Sh. A. Ponnuchamy	–	–	–	–	–	1	1	0.002%	0.002%
Sh. Kapil Garg	–	–	–	–	–	1	1	0.002%	0.002%
Sh. Bhupendra Singh	–	–	–	–	–	1	1	0.002%	0.002%
Total shareholding of Promoter (A)	–	50000	50000	100%	–	50000	50000	100%	100%
B. Public Shareholding									
1. Institutions									
a. Mutual Funds	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b. Banks / FI	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c. Central Govt	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d. State Govt(s)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
e. Venture Capital Funds	–	–	–	–	–	–	–	–	–
f. Insurance Companies	–	–	–	–	–	–	–	–	–
g. FIIs	–	–	–	–	–	–	–	–	–
h. Foreign Venture Capital Funds	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i. Others (specify)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sub-total B.(1):-	–	0.00	0.00	0.00	–	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Non- Institutions									
a. Bodies Corp.									
i) Indian	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) Overseas	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b. Individuals	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c. Others (specify)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Non Resident Indians	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Overseas Corporates Bodies	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Foreign Nationals	–	–	–	–	–	–	–	–	–

ट्रस्ट	–	–	–	–	–	–	–	–	–
विदेशी निकाय–डीआर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप–योग बी(2)	–	0.00	0.00	0.00	–	0.00	0.00	0.00	0%
कुल पब्लिक अंशधारिता (बी)= बी(1)+बी(2)	–	0.00	0.00	0.00	–	0.00	0.00	0.00	0%
(सी) जीडीआर व एडीआर अभिरक्षकों द्वारा धारित अंश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सर्व योग (ए+बी+सी)		50000	50000	100%	–	50000	50000	100%	100%

ii. प्रवर्तको की अंशधारिता

क्र. सं.	अशंधारक का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारिता			वर्ष के अन्त में अंशधारिता			वर्ष के दौरान अंशधारिता में परिवर्तन प्रतिशत में
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशों में गिरवी/भारग्रस्त अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशों में गिरवी/भारग्रस्त अंशों का प्रतिशत	
1	श्री सुरेश चन्द्र दिनकर (राज्य सरकार की ओर से)	49994	99.98%	0.00%	--	--	--	99.98%
2	महामहिम राज्यपाल राजस्थान	--	--	--	49994	99.98%	0.00%	99.98%
	योग	49994	99.98%	0%	49994	99.98%	0%	99.98%

iii. प्रवर्तकों की अंशधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें)

	अंशधारिता		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता	
	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
वर्ष के प्रारम्भ में	49994	99.98%	49994	99.98%
श्री सुरेश चन्द्र दिनकर (राज्य सरकार की ओर से)	49994	99.98%	49994	99.98%
वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के अंशधारण में तारीखवार वृद्धि/कमी, विशेषरूप से वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए (जैसे कि आबंटन/अन्तरण/बोनस/स्वेट समता, इत्यादि)	राज्य सरकार के आदेश के अनुसरण में जो राज्य सरकार की ओर से श्री सुरेश चन्द्र दिनकर द्वारा धारित अंश दिनांक 07.02.2018 को महामहिम राज्यपाल राजस्थान के नाम हस्तांतरित किये गये			
वर्ष के अन्त में	49994	99.98%	49994	99.98%
महामहिम राज्यपाल राजस्थान	49994	99.98%	49994	99.98%

Clearing Members	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trusts	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Foreign Bodies - DR	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sub-total (B)(2):-	–	0.00	0.00	0.00	–	0.00	0.00	0.00	0%
Total Public Shareholding (B)=B.(1)+ B.(2)	–	0.00	0.00	0.00	–	0.00	0.00	0.00	0%
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Grand Total (A+B+C)		50000	50000	100%	–	50000	50000	100%	100%

ii) Shareholding of Promoters

S. No.	Shareholders's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in share holding during the year
		No. of Shares	% of Total Shares of the Company	% of Shares Pledged/ encumbered to Total Shares	No. of Shares	% of Total Shares of the Company	% of Shares Pledged/ encumbered to Total Shares	
1	Shri Suresh Chandra Dinker (On behalf of State Govt.)	49994	99.98%	0.00%	--	--	--	99.98%
2	H.E. Governor of Rajasthan	--	--	--	49994	99.98%	0.00%	99.98%
	Total	49994	99.98%	0%	49994	99.98%	0%	99.98%

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

	Shareholding		Comulative Shareholding during the year	
	No. of Shares	% of Total Shares of the company	No. of Shares	% of Total Shares of the company
At the beginning of the year	49994	99.98%	49994	99.98%
Shri Suresh Chandra Dinker (On behalf of State Govt.)	49994	99.98%	49994	99.98%
Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat Equity etc.)	By the order of State Government, the Share held by Shri Suresh Chandra Dinker on behalf of State Government were transferred to H.E. Governor of Rajasthan on 07.02.2018			
At the end of the year	49994	99.98%	49994	99.98%
H.E. Governnor of Rajasthan	49994	99.98%	49994	99.98%

iv. शीर्ष दस अंशधारकों के अंशधारण की पद्धति (निदेशकों, प्रवर्तको तथा जीडीआरएस एवं एडीआरएस के धारकों के अतिरिक्ति)

शीर्ष 10 अंशधारकों के प्रत्येक हेतु	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारिता		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता	
	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
वर्ष के प्रारम्भ में	50000	100%	50000	100%
श्री सुरेश चन्द्र दिनकर (राज्य सरकार की ओर से)	49994	99.98%	49994	99.98%
श्री देवेन्द्र भूषण गुप्ता	1	0.002%	1	0.002%
श्री मनोज भट्ट	1	0.002%	1	0.002%
श्री सुबीर कुमार	1	0.002%	1	0.002%
श्री आलोक त्रिपाठी	1	0.002%	1	0.002%
श्री जसवन्त सम्पतराम	1	0.002%	1	0.002%
श्री अजीत सिंह	1	0.002%	1	0.002%
वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के अंशधारण में तारीखवार वृद्धि/कमी, विशेषरुप से वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए (जैसे कि आबंटन/अन्तरण/बोनस/स्वेट समता इत्यादि)	शीर्ष 10 अंशधारकों के अंशधारिता में समस्त परिवर्तन राज्य सरकार के आदेश के अनुसरण में जो राज्य सरकार की ओर से श्री सुरेश चन्द्र दिनकर द्वारा धारित अंश दिनांक 07.02.2018 को महामहिम राज्यपाल राजस्थान के नाम हस्तांतरित किये गये			
वर्ष के अन्त में	50000	100%	50000	100%
महामहिम राज्यपाल, राजस्थान	49994	99.98%	49994	99.98%
श्री आलोक त्रिपाठी	1	0.002%	1	0.002%
श्री आलोक	1	0.002%	1	0.002%
श्री मनीष चौहान	1	0.002%	1	0.002%
श्री ए. पोन्नुचामी	1	0.002%	1	0.002%
श्री कपिल गर्ग	1	0.002%	1	0.002%
श्री भूपेन्द्र सिंह	1	0.002%	1	0.002%

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	No. of Shares	% of Total Shares of the company	No. of Shares	% of Total Shares of the company
At the beginning of the year	50000	100%	50000	100%
Shri Suresh Chandra Dinkar (on behalf of State Govt.)	49994	99.98%	49994	99.98%
Sh Devendra Bhushan Gupta	1	0.002%	1	0.002%
Sh Manoj Bhatt	1	0.002%	1	0.002%
Sh Subir Kumar	1	0.002%	1	0.002%
Sh. Alok Tripathi	1	0.002%	1	0.002%
Sh Jaswant Sampatram	1	0.002%	1	0.002%
Sh Ajit Singh	1	0.002%	1	0.002%
Date wise Increase/ Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc):	All the changes in Shareholding of top 10 Shareholder were as per order of State Government and by the order of State Government, the Share held by Shri Suresh Chandra Dinker on behalf of State Government were transferred to H.E. Governor of Rajasthan on 07.02.2018			
At the End of the year	50000	100%	50000	100%
H.E. Governnor of Rajasthan	49994	99.98%	49994	99.98%
Sh. Alok Tripathi	1	0.002%	1	0.002%
Sh. Alok	1	0.002%	1	0.002%
Sh. Maneesh Chauhan	1	0.002%	1	0.002%
Sh. A. Ponnuchamy	1	0.002%	1	0.002%
Sh. Kapil Garg	1	0.002%	1	0.002%
Sh. Bhupendra Singh	1	0.002%	1	0.002%

V. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की अंशधारिता

निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की अंशधारिता	वर्ष के प्रारम्भ मं अंशधारिता		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता	
	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
वर्ष के प्रारम्भ में	6	0.012%	6	0.012%
श्री देवेन्द्र भूषण गुप्ता	1	0.002%	1	0.002%
श्री मनोज भट्ट	1	0.002%	1	0.002%
श्री सुबीर कुमार	1	0.002%	1	0.002%
श्री अलोक त्रिपाठी	1	0.002%	1	0.002%
श्री जसवन्त सम्पतराम	1	0.002%	1	0.002%
श्री अजीत सिंह	1	0.002%	1	0.002%
वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के अंशधारण में तारीखवार वृद्धि/कमी, विशेषरुप से वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए (जैसे कि आबंटन/अन्तरण/बोनस/स्वेट समता इत्यादि)	राज्य सरकार के आदेश अनुसार निदेशकों की अंशधारिता में समस्त परिवर्तन।			
वर्ष के अंत में	6	0.012%	6	0.012%
श्री आलोक त्रिपाठी	1	0.002%	1	0.002%
श्री आलोक	1	0.002%	1	0.002%
श्री मनीष चौहान	1	0.002%	1	0.002%
श्री ए. पोन्नुचामी	1	0.002%	1	0.002%
श्री कपिल गर्ग	1	0.002%	1	0.002%
श्री भूपेन्द्र सिंह	1	0.002%	1	0.002%

CIN : U45201RJ2013SGC043014

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	No. of Shares	% of Total Shares of the company	No. of Shares	% of Total Shares of the company
At the beginning of the year	6	0.012%	6	0.012%
Sh Devendra Bhushan Gupta	1	0.002%	1	0.002%
Sh Manoj Bhatt	1	0.002%	1	0.002%
Sh Subir Kumar	1	0.002%	1	0.002%
Sh. Alok Tripathi	1	0.002%	1	0.002%
Sh Jaswant Sampatram	1	0.002%	1	0.002%
Sh Ajit Singh	1	0.002%	1	0.002%
Date wise Increase/ Decrease in Pramotors Share holding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc):	All the changes in Shareholding of Directors were as per order of State Government			
At the End of the year	6	0.012%	6	0.012%
Sh. Alok Tripathi	1	0.002%	1	0.002%
Sh. Alok	1	0.002%	1	0.002%
Sh. Maheesh Chouhan	1	0.002%	1	0.002%
Sh. A. Ponnuchamy	1	0.002%	1	0.002%
Sh. Kapil Garg	1	0.002%	1	0.002%
Sh. Bhupendra Singh	1	0.002%	1	0.002%

5. ऋणग्रस्तता :

बकाया/प्रोद्भूत ब्याज परन्तु भुगतान देय नहीं है सहित कम्पनी की ऋणग्रस्तता

	निक्षेपों के अतिरिक्त प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	निक्षेप	कुल ऋणग्रस्तता
वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता	–	–	–	–
i. मूल राशि	–	–	–	–
ii. ब्याज देय परन्तु अप्रदत्त	–	–	–	–
iii. ब्याज प्रोद्भूत परन्तु अप्रदत्त	–	–	–	–
योग (i+ii+iii)	–	–	–	–
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्ता में परिवर्तन				
– अभिवृद्धि	–	–	–	–
– कमी	–	–	–	–
शुद्ध परिवर्तन	–	–	–	–
वित्तीय वर्ष के अन्त में ऋणग्रस्ता				
i. मूल राशि	–	–	–	–
ii. ब्याज देय परन्तु अप्रदत्त	–	–	–	–
iii. ब्याज प्रोद्भूत परन्तु अप्रदत्त	–	–	–	–
योग (i+ii+iii)	–	–	–	–

VI. निदेशकों एवंप्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(ए) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं/अथवा मैनेजर का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मैनेजर का नाम					कुल राशि
1	सकल वेतन						
	(ए) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	–	–	–	–	–	–
	(बी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत परिलब्धियों का मूल्य	–	–	–	–	–	–
	(सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के बदलें में लाभ	–	–	–	–	–	–
2	स्टाक विकल्प	–	–	–	–	–	–
3	स्वेट समता	–	–	–	–	–	–
4	कमीशन – यथा लाभ का प्रतिशत – अन्य उल्लेख करें	–	–	–	–	–	–
5	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें (किराया)	–	–	–	–	–	–
	योग (ए)	–	–	–	–	–	–
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	–	–	–	–	–	–

5. INDEBTEDNESS :

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

Particulars	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	–	–	–	–
ii) Interest due but not paid	–	–	–	–
iii) Interest accrued but not due	–	–	–	–
Total (i+ii+iii)	–	–	–	–
Change in Indebtedness during the financial year	**NOT APPLICABLE**			
- Addition	–	–	–	–
- Reduction	–	–	–	–
Net Change	–	–	–	–
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount	–	–	–	–
ii) Interest due but not paid Paid	–	–	–	–
iii) Interest accrued but not due	–	–	–	–
Total (i+ii+iii)	–	–	–	–

6. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager :

S. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/ Manager					Total Amount
1.	Gross salary	–	–	–	–	–	–
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	–	–	–	–	–	–
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	–	–	–	–	–	–
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	–	–	–	–	–	–
2.	Stock Option	–	–	–	–	–	–
3.	Sweat Equity	–	–	–	–	–	–
4.	Commission	–	–	–	–	–	–
	- as % of profit	–	–	–	–	–	–
	- others, specify…	–	–	–	–	–	–
5.	Others, please specify (Rent)	–	–	–	–	–	–
	Total (A)	–	–	–	–	–	–
	Ceiling as per the Act	–	–	–	–	–	–

(बी) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम श्री अशोक पाटनी	कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक	हॉ	–
	मण्डल की बैठक में उपस्थित होने हेतु शुल्क	10,000	10,000
	कमीशन	–	–
	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें	–	–
	योग (1)	10,000	10,000
2.	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक	–	–
	मण्डल की बैठक में उपस्थित होने हेतु शुल्क	–	–
	कमीशन	–	–
	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें।	–	–
	योग (2)	–	–
	योग (बी)=(1+2)	**10,000**	**10,000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	–	–
	अधिनियम के अनुसार, कुल अधिकतम सीमा	–	–

(सी) प्रबंध निदेशक/मैनेजर/ पूर्णकालिक निदेशकों के अतिरिक्त अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (राशि रूपये में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम			
		सीईओ	सीएस	सीएफओ	योग
1	सकल वेतन	–	–	–	–
(ए)	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	–	–	–	–
(बी)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत परिलब्धियों का मूल्य	–	–	–	–
(सी)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के बदलें में लाभ	–	–	–	–
2	स्टाक विकल्प	–	–	–	–
3	स्वेट समता	–	–	–	–
4	कमीशन	–	–	–	–
5	– यथा लाभ का प्रतिशत	–	–	–	–
6	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें	–	–	–	–
	योग	–	–	–	–

B. Remuneration to other Directors :

S. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors	Total Amount
		Shri Ashok Patni	
1.	Independent Directors	Yes	_
	Fee for attending board committee meetings	10,000.00	10,000.00
	Commission	–	–
	Others, please specify	–	–
	Total (1)	10,000.00	10,000.00
2.	Other Non-Executive Directors	–	–
	Fee for attending board committee meetings	–	–
	Commission	–	–
	Others, please specify	–	–
	Total (2)	**–**	**–**
	Total (B)=(1+2)	10,000.00	10,000.00
	Total Managerial Remuneration	**–**	**–**
	Overall Ceiling as per the Act	**–**	**–**

C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

(In Rupees)

S. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	CS	CFO	Total
1.	Gross salary	–	–	–	–
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	–	–	–	–
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	–	–	–	–
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	–	–	–	–
2.	Stock Option	–	–	–	–
3.	Sweat Equity	–	–	–	–
4.	Commission	–	–	–	–
5	- as % of profit	–	–	–	–
6.	Others, please specify	–	–	–	–
	Total	–	–	–	–

VII. शास्तियां/दंड/अपराधों का प्रशमन

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त वर्णन	शास्ति/दंड/अधिरोपित प्रशमन शुल्क का ब्यौरा	प्राधिकारी (आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय)	की गयी अपील यदि कोई हो (ब्यौरा देवें)
ए. कम्पनी					
शास्ति	**वित्तीय वर्ष के दौरान कोई जुर्माना, सजा एवं प्रशमन नहीं है।**				
दंड					
प्रशमन					
बी. निदेशक					
शास्ति	**वित्तीय वर्ष के दौरान कोई जुर्माना, सजा एवं प्रशमन नहीं है।**				
दंड					
प्रशमन					
सी. व्यतिक्रम में अन्य अधिकारी					
शास्ति	**वित्तीय वर्ष के दौरान कोई जुर्माना, सजा एवं प्रशमन नहीं है।**				
दंड					
प्रशमन					

कृते तथा निदेशक मण्डल के निमित्त
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड

दिनांक : 28.09.2018
स्थान : जयपुर

ए. पोन्नुचामी
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन : 07869683

आलोक त्रिपाठी
निदेशक
डीआईएन : 07653593

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES :

Type	Section of the Companies Act	Brief Discription	Details of Penalty / Punshment/ Compounding fees imposed	Authority (RD/ NCLT/Court)	Appeal Made If any (give Detaiils)
A. COMPANY					
Penalty	There is no Penalty, Punishment or Compounding During the Financial Year				
Punishment					
Compounding					
B. DIRECTORS					
Penalty	There is no Penalty, Punishment or Compounding During the Financial Year				
Punishment					
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	There is no Penalty, Punishment or Compounding During the Financial Year				
Punishment					
Compounding					

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS OF RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED

DATE: 28.09.2018 **A. PONNUCHAMY** **ALOK TRIPATHI**

PLACE: JAIPUR **MANAGING DIRECTOR DIN: 07869683** **DIRECTOR DIN: 07653593**

राकेश अशोक एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

ओ–33, द्वितीय तल, अम्बर टॉवर
संसार चन्द्र रोड, जयपुर–302001
दूरभाष : 0141–4002667
एफआरएन : 011273सी

स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

राजस्थान पुलिस आवासन एवं
निर्माण निगम लिमिटेड के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हम, राकेश अशोक एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने राजस्थान पुलिस आवसन एवं निर्माण निगम लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2018 का तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण पत्र, रोकड़ प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश, एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण शामिल है।

वित्तीय विवरणों के लिये प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कम्पनीज अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में नियत मामलों में इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में जो कि कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के साथ–साथ, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार, कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं रोकड़ प्रवाह का सत्य व स्वच्छ परिदृश्य प्रस्तुत करे, कम्पनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में सम्मिलित है, कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा के लिये एवं कपट व अन्य अनियमितताओं को रोकने व ज्ञात करने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथेष्ट लेखा अभिलेखों का संधारण, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं प्रयुक्ति, निर्णय एवं प्राक्कलन करना जो कि युक्तियुक्त एवं विवेकपूर्ण हो, समुचित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्विति एवं संधारण जिन्हें वित्तीय विवरणों जो कि सत्य एंव स्वच्छ परिदृश्य प्रस्तुत करते है और चाहे कपट या त्रुटि के कारण सारभूत गलत विवरण से मुक्त है की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित, लेखा अभिलेखों की विशुद्धता एवं सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी रूप से सम्पादित किये गये थे।

Rakesh Ashok & Company
Chartered Accountants

O-33, IInd Floor, Amber Tower
S. C. Road, Jaipur - 302001
Tel. : 0141-4002667
FRN : 011273C

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of
Rajasthan Police Hosusing & Construction Corporation Ltd.

Report on the Financial Statements

We, **Rakesh Ashok & Company**, Chartered Accountants have audited the accompanying financial statements of Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2018,the Statement of Profit and Loss, the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

अंकेक्षको का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तदायित्व हमारे अंकेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरण पत्रों पर राय व्यक्त करने का है। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और अंकेक्षण मानक एवं ऐसी विषय वस्तु जो अधिनियम व उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है, को विचार में लिया है। हमने, अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार, हमारे अंकेक्षण को आयोजित किया है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं की पालना करें एवं अंकेक्षण को इस प्रकार से नियोजित व निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण सारभूत गलत विवरण से मुक्त है, के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त किया जा सकें।

अंकेक्षण में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरणों के अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया अनुपालन सम्मिलित है। चाहे कपट या त्रुटि के कारण, सारवान् अयथार्थ विवरण की जोखिमों के निर्धारण सहित अंकेक्षकों के निर्णय पर, प्रक्रियाओं का चयन निर्भर करता है। उन जोखिमों का निर्धारण करने में, अंकेक्षक अंकेक्षण प्रक्रिया जो कि उन परिस्थितियों में उचित है, की योजना तैयार करने में कम्पनी का वित्तीय विवरणों के स्वच्छ प्रस्तुतीकरण एवं तैयारी से संबंधित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का विचार करते है। अंकेक्षण में, प्रयुक्त लेखांकन सिद्धान्तों की उपयुक्तता एवं कम्पनी के निदेशकों द्वारा किये गये लेखा प्राक्कलनों के औचित्य का मूल्यांकन साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन सम्मिलित है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है एवं वित्तीय विवरणो पर हमारे अंकेक्षण अभिमत के लिये एक उचित आधार उपलब्ध कराते है।

अभिमत

हमारे अभिमत में एवं हमें दी गयी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचनाओं को विहित रीति से उपलब्ध कराते है तथा भारत में सामान्यतः प्रचलित लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप है। 31 मार्च, 2018 को कम्पनी के कार्यकलाप की परिस्थिति पर एवं उसके लाभ और उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी के रोकड़ प्रवाह के मामलें का सत्य एवं स्वच्छ परिदृश्य प्रस्तुत करते है।

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2018, and its profit and its cash flows for the year ended on that date.

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसाकि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये कम्पनी (अंकेक्षक का प्रतिवेदन) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा अपेक्षित है एवं कार्पोरेशन की लेखा पुस्तकों तथा अभिलेखों जिन्हें हमने उपयुक्त माना, की ऐसी जांच के आधार पर एवं हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार हमने कथित आदेश के पैरा 3 व 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर अनुलग्नक–ए में कथन किया है।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित है, हम वर्णन करते है कि –

(ए) हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये है जो हमारे उत्तम ज्ञान एवं विश्वास से हमारे अंकेक्षण के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

(बी) हमारे मत में, जहां तक इन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रकट होता है, हमारे विचार में विधि द्वारा अपेक्षित लेखों की उचित पुस्तकों को रखा गया है।

(सी) इस प्रतिवेदन में व्यावहारित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों की अनुरूपता लिये हुये है।

(डी) हमारे अभिमत में, पूर्वकथित वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखा मानकों की पालना करते है।

(इ) 31 मार्च, 2018 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर एवं अभिलेख अनुसार कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार, 31 मार्च, 2018 को यथा निदेशक के नियुक्त होने के लिये निरर्हित नहीं है।

(एफ) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रभावशीलता के सम्बन्ध में अनुलग्नक–बी में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

(जी) कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मत में एवं हमें प्राप्त व

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in the 'Annexure A', a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

2. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:

   a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

   b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

   c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

   d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

   e) On the basis of the written representations received from the directors as on 31st March, 2018 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st March, 2018 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.

   f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in 'Annexure B'.

   g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014,

उपलब्ध कराई गई समस्त सूचनाओं व दिये गये विवरणों के अनुसार :

i) कम्पनी में कोई लम्बित मुकदमें नहीं है जिससे उसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो।

ii) कम्पनी किसी दीर्घकालिक संविदा अथवा किसी व्युत्पन्न संविदा में शामिल नहीं है अतः इस क्रम में कम्पनी को कोई आगामी हानियां, होना भी संभावित नहीं है।

iii) निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कम्पनी द्वारा हस्तान्तरित की जाने वाली कोई अपेक्षित राशि नहीं है।

कृते राकेश अशोक एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ.आर.एन. 011273सी

विजय कुमार गुप्ता
साझेदार
सं.सं. 407189

स्थान : जयपुर
दिनांक : 28.09.2018

in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position.

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

For RAKESH ASHOK AND COMPANY
Chartered Accountants
FRN: 011273C

Place:-JAIPUR
Date: 28-09-2018

VIJAY KUMAR GUPTA
(PARTNER)
Membership No. 407189

राकेश अशोक एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

ओ–33, द्वितीय तल, अम्बर टॉवर
संसार चन्द्र रोड, जयपुर–302001
दूरभाष : 0141–4002667
एफआरएन : 011273सी

स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–ए

'अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन' के पैरा 1 के क्रम में 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए कम्पनी के वित्तीय विवरण के संदर्भ में हमारी समतिथि की रिपोर्ट से संदर्भित अनुलग्नक–ए

1. हम रिपोर्ट करते हैं –

   (क) कम्पनी ने परिमाणात्मक विस्तृतियों तथा स्थाई आस्तियों की अवस्थिति सहित पूर्ण विशिष्टियां दर्शाते हुए समुचित अभिलेख संधारित किया है।

   (ख) जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है, प्रबन्धन द्वारा वर्ष के दौरान युक्तिसंगत अन्तरालों पर सम्पूर्ण आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है, ऐसे भौतिक सत्यापन में कोई तात्विक विसंगतियां नहीं पायी गयी।

   (ग) अचल सम्पत्तियों के स्वत्व विलेख कम्पनी के नाम पर ही धारित हैं।

2. हमारी राय में और हमें दी गई सूचनाओं एवं विवरण के अनुसार कम्पनी कोई इन्वेन्ट्री (वस्तुसूची) नहीं रखती है। अतः आदेश के खण्ड 3(ii) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।

3. हमारे परिक्षण के आधार पर एवं हमें दी गई सूचनाओं एवं विवरण के अनुसार कम्पनी ने, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अधीन संधारित रजिस्टर में आवृत कम्पनियों, फर्मों, सीमित दायित्व वाली साझेदारी एवं अन्य पक्षों को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण स्वीकृत नहीं किया है। तद्नुसार आदेश के खण्ड (iii)(ए), (बी) व (सी) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।

4. हमारे अभिमत में और हमें दी गई सूचनाओं एवं विवरण के अनुसार कम्पनी द्वारा कोई ऋण, निवेश, गारंटी एवं सुरक्षा नहीं दी गई उक्तानुसार टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। अतः कम्पनीज अधिनियम 2013 की धारा 185 व 186 के प्रावधान प्रयोज्य नहीं है।

5. कम्पनी अधिनियम, 2013 धारा 73 से 76 के संबंधित प्रावधानों एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत कम्पनी ने कोई सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार नहीं किये है।

6. प्रबन्धन द्वारा हमें दी गई सूचनाओं एवं विवरण के अनुसार कम्पनी के किसी भी उत्पाद के लिये समीक्षाधीन अवधि में लागत अभिलेखों को संधारण करना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित नहीं किया गया है।

Rakesh Ashok & Company
Chartered Accountants

O-33, IInd Floor, Amber Tower
S. C. Road, Jaipur - 302001
Tel. : 0141-4002667
FRN : 011273C

ANNEXURE 'A' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

The Annexure referred to in paragraph 1 of Our Report on "Other Legal and Regulatory Requirements" of our report of even date to the financial statements of the company for the year ended March 31, 2018.

We report that:

1) (a) The company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of its fixed assets.

(b) As explained to us, fixed assets have been physically verified by the management at reasonable intervals; no material discrepancies were noticed on such verification.

(c) The title deeds of immovable properties are held in the name of the company.

2) As explained given to us, the company does not have any inventories. Therefore, the provisions of the clause 3(ii) of the Order is not applicable to the Company

3) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, the Company has not granted any loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties listed in the register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013. Consequently, the provisions of clauses 3(iii) (a), (b) & (c)of the order are not applicable to the Company.

4) In our opinion and according to the information and explanations given to us, there are no loans, investments, guarantees, and security granted in respect of which provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 are applicable and hence not commented upon.

5) The company has not accepted any deposits from the public covered under sections 73 to 76 of the Companies Act, 2013.

6) As per information & explanation given by the management, maintenance of cost records has not been specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148of the Companies Act, 2013.

7. (ए) कम्पनी के रिकॉर्ड के अनुसार साधारणतया प्रावधायी निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, मूल्य वृद्धित कर सहित अविवादित संवैधानिक देयताओं सहित उपकर एवं अन्य वैधानिक बकायों को इनके लागू होने तक की परिसीमा तक उचित प्राधिकरणों के पास यद्यपि कुछ मामलों में थोड़ी देरी के अलावा आमतौर पर नियमित रूप से जमा किया गया है।

(बी) हमें दिये गये विवरणों एवं सूचनाओं के अनुसार निम्नांकित वैधानिक देयता 31.03.2018 को उनके देय होने की तिथि से छः माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया रही हैः–

विवरण	**रकम**	**कब से बकाया**
डब्ल्यूसीटी	11,060 / –	14.09.2017
सेवाकर	12,055 / –	31.03.2017
समूह बीमा	506 / –	15.06.2017

(सी) हमें दिये गये विवरणों एवं सूचनाओं के अनुसार आयकर, सेवाकर, बिक्रीकर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, मूल्य वर्धित कर एवं उपकर की ऐसी कोई राशि बकाया नहीं है जिसे किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है।

8. हमारी राय में एवं हमें प्रबन्ध द्वारा दिये गये विवरणों एवं सूचना के अनुसार, हम राय व्यक्त करते है कि कम्पनी, वित्तीय संस्था, बैक, सरकार या ऋणपत्रधारी के बकाया के पुनर्भुगतान में दोषी नहीं रही हैं, जैसा कि कम्पनी के लिए लागू है।

9. क्रियान्वित की गई अंकेक्षण प्रक्रिया के आधार पर एवं प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं के अनुसार, कम्पनी ने वर्ष के दौरान प्रारम्भिक सार्वजनिक निमंत्रण या अग्रतर सार्वजनिक निमंत्रण (ऋण दस्तावेज सहित) एवं सावधि ऋणों द्वारा कोई धन इकट्ठा नहीं किया है।

10. हमें दी गई सूचनाओं एवं विवरणों के अनुसार, हम इसकी रिपोर्ट करते है कि वर्ष के दौरान न तो कम्पनी के प्रति और न ही कम्पनी द्वारा या इसके अधिकारी या कर्मचारियों द्वारा कोई कपट/दुराचार घटित नहीं हुआ है तथा संसूचित भी नहीं किया गया है।

11. प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं एवं विवरण के अनुसार, प्रबंकीय पारिश्रमिक का भुगतान अधिनियम की अनुसूची 5 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित अनुमोदन के बाद किया गया है।

12. हमारी राय में कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है। तद्नुसार, आदेश के पैरा (xii) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।

7) (a) According to the records of the company, undisputed statutory dues including Provident Fund, Employees' State Insurance, Income-tax, Sales-tax, Service Tax, Custom Duty, Excise Duty, value added tax,cess and any other statutory dues to the extent applicable, have generally been regularly deposited with the appropriate authorities through there has been a slight delay in a few cases.

(b) According to the information and explanations given to us, there were following outstanding statutory dues as on 31st of March 2018, for a period of more than six months from the date they became payable: -

Particulars	**Amount**	**Since Due**
WCT	11,060/-	14.09.2017
Service Tax	12,055/-	31.03.2017
Group Insurance	506/-	15.06.2017

(c) According to the information and explanations given to us, there is no amount payable in respect of income tax, service tax, sales tax, customs duty, excise duty, value added tax and cess whichever applicable, which have not been deposited on account of any disputes.

8) In our opinion and according to the information and explanations given by the management, we are of the opinion that, the Company has not defaulted in repayment of dues to a financial institution, bank, Government or debenture holders, as applicable to the company.

9) Based on our audit procedures and according to the information given by the management, the company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) or taken any term loan during the year.

10) According to the information and explanations given to us, we report that no fraud by the company or any fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.

11) According to the information and explanations given by the management, the managerial remuneration has been paid / provided in accordance with the requisite approvals mandated by the provisions of section 197 read with Schedule V to the Act.

12) The company is not a Nidhi Company. Therefore clause (xii) of the order is not applicable to the company.

13. हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं विवरणों के अनुसार संबंधित पक्षकारों से सभी संव्यवहार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुपालना में है तथा इन संव्यवहारों के, लागू लेखा मानकों द्वारा यथा अपेक्षित ब्योरे वित्तीय विवरणों में प्रकट किये गये है।

14. कम्पनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान न ही कोई अधिमान आवंटन किया गया है न ही किसी अंश या पूर्णतः या अंशतः परिवर्तनीय ऋणपत्र का निजी तौर पर आवंटन किया गया है। तद्नुसार, आदेश के पैरा (xiv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।

15. कम्पनी ने निदेशकों से संबंधित व्यक्तियों या निदेशकों से कोई गैर–नकद व्यवहार नहीं किया है। तदनुसार आदेश के पैरा (xv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।

16. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के अन्तर्गत कम्पनी को पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैरा (xvi) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।

कृते राकेश अशोक एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ.आर.एन. 011273सी

विजय कुमार गुप्ता
साझेदार
सं.सं. 407189

स्थान : जयपुर
दिनांक : 28.09.2018

13) According to the information and explanations given to us,all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act, 2013 where applicable and the details have been disclosed in the Financial Statements etc. as required by the applicable accounting standards.

14) The company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. Therefore clause (xiv) of the order is not applicable to the company.

15) The company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with him. Therefore clause (xv) of the order is not applicable to the company.

16) The company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Therefore, clause (xvi) of the order is not applicable to the company.

For RAKESH ASHOK AND COMPANY

Chartered Accountants

FRN: 011273C

Place:-JAIPUR

Date: 28 Sep. 2018

VIJAY KUMAR GUPTA

(PARTNER)

Membership No. 407189

राकेश अशोक एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

ओ–33, द्वितीय तल, अम्बर टॉवर
संसार चन्द्र रोड, जयपुर–302001
दूरभाष : 0141–4002667
एफआरएन : 011273सी

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–बी

(हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अन्य विधिक तथा विनियामक आवश्यक भाग के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट)

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के उपाबन्ध (आई) के अन्तर्गत आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने **राजस्थान पुलिस आवसन एवं निर्माण निगम लि.** (''कम्पनी'') की 31 मार्च, 2018 तक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का कम्पनी के उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के साथ अंकेक्षण किया है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

कम्पनी का प्रबन्धन, भारत की सनदी लेखाकारों की संस्था द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आन्तरिक नियंत्रण के परमावश्यक अवयवों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण पर आधारित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व संधारित करने के लिए उत्तरदायी है। कम्पनीज अधिनियम 2013 के अनुसार इन उत्तरदायित्वों के अन्तर्गत यथापेक्षित कम्पनी की नीति की अनुपालना, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, कपटों तथा त्रुटियों की रोकथाम व खोजबीन, लेखाभिलेखों की यथार्थता व पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करने सहित इसके व्यवसाय के सुव्यवस्थित व दक्ष संचालन सुनिश्चित किए जाने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित हो रहे पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का आकार क्रियान्वयन तथा संधारण शामिल है।

अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारे अंकेक्षण पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करने का है। हमने हमारा अंकेक्षण भारतीय सनदी लेखाकारों की संस्था द्वारा जारी किए गए तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अन्तर्गत विहित किये गए मानित, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर मार्गदर्शन टिप्पण (मार्ग दर्शन टिप्पणी) तथा मानक लेखांकन के अनुसार, आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रयोज्य किसी अंकेक्षण की सीमा तक, दोनों आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी अंकेक्षण लिए प्रयोज्य तथा दोनों भारत की सनदी लेखाकारों की संस्था द्वारा जारी किए गए, सम्पादित किया है। इन मानकों तथा मार्गदर्शन टिप्पणों की वांछना है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं की अनुपालना करते हैं तथा अंकेक्षण को यह उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजित व निष्पादित करना कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व संधारित था तथा क्या ऐसे नियंत्रण तात्विक दृष्टि से प्रभावी रूप से कार्यरत थे।

Rakesh Ashok & Company
Chartered Accountants

O-33, IInd Floor, Amber Tower
S. C. Road, Jaipur - 302001
Tel. : 0141-4002667
FRN : 011273C

ANNEXURE 'B' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in Paragraph 2 under the Report on Other Legal and Regulatory Requirements of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Rajasthan Police Housing and Construction Corporation Limited ("the Company") as of March 31, 2018 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

हमारे अंकेक्षण में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा उनके प्रभावी रूप से प्रचालन में रहने के लिए अंकेक्षण साक्ष्य जुटाने के लिए कार्यविधि का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे अंकेक्षण में, तात्विक कमजोरी के क्रम में जोखिम का निर्धारण, जांच एवं मूल्याकांन किया जाना शामिल है। उपरोक्त कार्यविधि का चयन, अंकेक्षक के निर्णय एवं वित्तीय विवरणों के जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

हम विश्वास करते हैं कि हमें उपलब्ध कराये गये अंकेक्षण साक्ष्य कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर वित्तीय रिपोर्टिंग के क्रम में हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण से तात्पर्य वित्तीय रिपोर्टिंग तथा बाह्य प्रयोजनों से सामान्यत: स्वीकारे गए लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता के सम्बन्ध में उचित आश्वासन प्रदान किए जाने के लिए प्रतिरुपित प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों तथा कार्यविधियों का समावेश होता है जो

(1) ऐसे अभिलेखों का संधारण जो कम्पनी की आस्तियों के संव्यवहारों तथा निस्तारणों का यथार्थ व उचित युक्तिसंगत विस्तृति दर्शाते हो।

(2) युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करते है कि वित्तीय विवरण सामान्यत: स्थापित लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गये है। यह कि कम्पनी की प्राप्तियां तथा व्यय कम्पनी के प्रबन्धन तथा निदेशकों के प्राधिकृत निर्देशों के अनुसार किए जा रहे हैं तथा

(3) कम्पनी की आस्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, निस्तारण जो की वित्तीय विवरणों को प्रभावित कर सकते है, की रोकथाम व अवधिपरक विवेचना के सम्बन्ध में समुचित आश्वासन प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित परिसीमायें

यह कि आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की परिसीमाओं, अनुचित प्रबन्धन, दुरभिसंधि की आशंका आदि के कारण त्रुटियां, कपट/दुराचार घटित हो सकते है, जिनका पता नहीं लगाया जा सकता। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्याकंन के भविष्य के पूर्वानुमान भी इस जोखिम के अध्यधीन हैं कि परिस्थितियों में परिवर्तन या नीतियों या कार्यप्रणालियों की अनुपालना की अवस्था में अवनति होने से आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग समुचित नहीं हो पाये।

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

1. pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

2. provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and

3. Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

अभिमत

हमारे अभिमत से कम्पनी सभी वस्तुपरक आयामों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण रखती है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण, भारत की सनदी लेखाकारों की संस्था (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी किए गए अंकेक्षण पर मार्गदर्शन टिप्पणी (मार्गदर्शन टिप्पणी) में उल्लिखित आन्तरिक नियंत्रण के परमावश्यक अवयवों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आधारित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2018 तक प्रभावी रूप से कार्यशील थे।

कृते राकेश अशोक एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ.आर.एन. 011273सी

विजय कुमार गुप्ता
साझेदार
सं.सं. 407189

स्थान : जयपुर
दिनांक : 28.09.2018

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2018, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For RAKESH ASHOK AND COMPANY
Chartered Accountants
FRN: 011273C

Place:-JAIPUR
Date: -28 Sep. 2018

VIJAY KUMAR GUPTA
(PARTNER)
Membership No. 407189

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर
कमरा नं. 756, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर
सीआईएनः यू 45201आरजे2013एसजीसी043014
31 मार्च, 2018 को तुलन–पत्र

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2018 को		31.03.2017 को	
		विवरण (रू.)	कुल (रू.)	विवरण (रू.)	कुल (रू.)
I. समता एवं दायित्व					
अंशधारकों की निधि			**79,53,172.26**		20,06,929.00
अंश पूंजी	1	**50,00,000.00**		50,00,000.00	
आरक्षित एवं अधिशेष	2	**29,53,172.26**		-29,93,071.00	
अंश आवेदन राशि			**50,00,000.00**		50,00,000.00
गैर–चालू दायित्व			**56,252.00**		0.00
दीर्घवधि ऋण		0.00		0.00	
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)	3	56,252.00		0.00	
चालू दायित्व	**4**		**40,83,01,091.00**		10,50,96,221.00
अनुपयुक्त सरकारी निधि		**35,30,93,638.00**		9,29,69,198.00	
व्यापारिक देयताऐं		**48,06,158.00**		0.00	
अन्य चालू दायित्व		**4,68,99,495.00**		1,21,27,023.00	
अल्पकालीन प्रावधान		**35,01,800.00**		0.00	
कुल (I)			**42,13,10,515.26**		11,21,03,150.00
II. आस्तियां					
गैर–चालू आस्तियां			**18,25,991.17**		62,356.00
स्थिर आस्तियां					
(i) मूर्त सम्पतियां	5	18,25,991.17		62,356.00	
(ii) अमूर्त सम्पतियां		0.00		0.00	
(iii) कार्य प्रगतिरत पूंजी		0.00		0.00	
		18,25,991.17		62,356.00	
गैर–चालू निवेश		0.00		0.00	
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम		0.00		0.00	
अन्य गैर–चालू अस्तियां		0.00		0.00	
चालू निवेश	6		41,94,84,524.09		11,20,40,794.00
इन्वेन्ट्रि (सम्पत्ति सूची)		0.00		0.00	
व्यवसायिक प्राप्य		0.00		0.00	
नगद एवं नगद के समान		41,21,64,843.09		11,18,91,080.00	
अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम		32,35,385.00		18,600.00	
अन्य चालू सम्पत्तियाँ		40,84,296.00		1,31,114.00	
कुल (II)			**42,13,10,515.26**		**11,21,03,150.00**
लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणियां	**12**				

गवाहों एवं तथ्यों की पुष्टि में
कृते राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड

हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार
कृते राकेश अशोक एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ.आर.एन. 011273सी

(अय्यनू मूपनार पोन्नुचामी)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन : 07869683

(आलोक त्रिपाठी)
निदेशक
डीआईएन : 07653593

(भूपेन्द्र सिंह)
निदेशक
डीआईएन :08063497

(वी. के. गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता नं. 407189

स्थान : जयपुर
दिनांक : 28.09.2018

RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

Room No.756,Police Headquarters,Lal Kothi Scheme,jaipur

CIN-U45201RJ2013SGC043014

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2018

Particulars	Note	Amount as on 31.03.2018		Amount as on 31.03.2017	
	No.	Details (Rs.)	Total (Rs.)	Details (Rs.)	Total (Rs.)
I. EQUITY AND LIABILITIES					
Shareholder's Funds			**79,53,172.26**		20,06,929.00
Share Capital	1	**50,00,000.00**		50,00,000.00	
Reserves and Surplus	2	**29,53,172.26**		-29,93,071.00	
Share Application Money			**50,00,000.00**		50,00,000.00
Non-Current Liabilities			**56,252.00**		0.00
Long-term borrowings		0.00		0.00	
Deferred tax liabilities (Net)	3	56,252.00		0.00	
Current Liabilities	**4**		**40,83,01,091.00**		10,50,96,221.00
Un-Utilized Govt. Fund		**35,30,93,638.00**		9,29,69,198.00	
Trade payables		**48,06,158.00**		0.00	
Other current liabilities		**4,68,99,495.00**		1,21,27,023.00	
Short-term provisions		**35,01,800.00**		0.00	
TOTAL (I)			**42,13,10,515.26**		11,21,03,150.00
II. ASSETS					
Non-current assets			**18,25,991.17**		62,356.00
Fixed assets					
(i) Tangible assets	5	18,25,991.17		62,356.00	
(ii) Intangible assets		0.00		0.00	
(iii) Capital work-in-progress		0.00		0.00	
		18,25,991.17		62,356.00	
Non-current investments		0.00		0.00	
Long Term loans and advances		0.00		0.00	
Other non-current assets		0.00		0.00	
Current assets	6		41,94,84,524.09		11,20,40,794.00
Inventories		0.00		0.00	
Trade receivables		0.00		0.00	
Cash and cash equivalents		41,21,64,843.09		11,18,91,080.00	
Short-term loans and advances		32,35,385.00		18,600.00	
Other Current Assets		40,84,296.00		1,31,114.00	
TOTAL(II)			**42,13,10,515.26**		**11,21,03,150.00**
Additional Notes on Accounts	**12**				

In witness & confirmation of facts.
For Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.

In term of our audit report of even date.
For Rakesh Ashok & Co.
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 011273C

(Ayyanu Moonpanar Ponnuchamy)	(Alok Tripathi)	(Bhupendra Singh)	(V. K. Gupta)
Managing Director	Director	Director	Partner
DIN:07869683	DIN:07653593	DIN:08063497	M.No. 407189

Place : Jaipur
Date : 28 Sept. 2018

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर
कमरा नं. 756, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर
सीआईएनः यू 45201आरजे2013एसजीसी043014
31 मार्च, 2018 को समाप्त हुये वर्ष के लिये लाभ व हानि खाता विवरण

विवरण	टिप्पणी संख्या	वर्ष 2017-18 के लिए		वर्ष 2016-17 के लिए	
		विवरण (रू.)	कुल (रू.)	विवरण (रू.)	कुल (रू.)
परिचालन से राजस्व	7	1,55,76,502.00		1,16,694.00	
अन्य आय	8	20,52,320.00		4,46,474.00	
कुल राजस्व			1,76,28,822.00		5,63,168.00
व्यय :					
कार्मिक परिलाभ व्यय	9	47,76,796.00		23,70,993.00	
वित्तीय व्यय	10	2,405.56		1,064.00	
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	11	32,21,711.00		6,65,863.00	
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय		1,23,614.18		8,444.00	
कुल व्यय			81,24,526.74		30,46,364.00
कर पूर्व लाभ			95,04,295.26		-24,83,196.00
कर व्यय					
(1) चालू कर		29,00,000.00		0.00	
(2) स्थगित कर		56,252.00	29,56,252.00	0.00	0.00
वर्ष के लिए लाभ/हानि			65,48,043.26		-24,83,196.00
घटाएं : लाभांश					
(1) साधारण लाभांश (10/- प्रति अंश)		5,00,000.00		0.00	
(2) लाभांश भुगतान पर आयकर		1,01,800.00	6,01,800.00	0.00	0.00
वर्ष के अन्त में प्रति धारित आय			59,46,243.26		-24,83,196.00
प्रति समता अंश उपार्जन :					
(1) मूल एवं मन्दित			130.96		-49.66

गवाहों एवं तथ्यों की पुष्टि में
कृते राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड

हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार
कृते राकेश अशोक एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ.आर.एन. 011273सी

(अय्यनू मूपनार पोन्नुचामी)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन : 07869683

(आलोक त्रिपाठी)
निदेशक
डीआईएन : 07653593

(भूपेन्द्र सिंह)
निदेशक
डीआईएन :08063497

(वी. के. गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता नं. 407189

स्थान : जयपुर
दिनांक : 28.09.2018

RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

Room No.756,Police Headquarters,Lal Kothi Scheme,jaipur

CIN-U45201RJ2013SGC043014

Statement of Profit and Loss for the year Ended 31st MARCH, 2018

Particulars	Sch No.	For the year 2017-18		For the year 2016-17	
		Details (Rs.)	Total (Rs.)	Details (Rs.)	Total (Rs.)
Revenue from operations	7	1,55,76,502.00		1,16,694.00	
Other Income	8	20,52,320.00		4,46,474.00	
Total Revenue			1,76,28,822.00		5,63,168.00
Expenses:					
Employee Benefit Expense	9	47,76,796.00		23,70,993.00	
Financial Expenses	10	2,405.56		1,064.00	
Administrative & Other Expenses	11	32,21,711.00		6,65,863.00	
Depreciation and Amortization Expense		1,23,614.18		8,444.00	
Total Expenses			81,24,526.74		30,46,364.00
Profit Before Tax			95,04,295.26		-24,83,196.00
Tax Expense:					
(1) Current Tax		29,00,000.00		0.00	
(2) Deferred Tax		56,252.00	29,56,252.00	0.00	0.00
Profit/(Loss) for the year			65,48,043.26		-24,83,196.00
Less: Dividend					
(1) Ordinary Dividend (Rs.10/- per share)		5,00,000.00		0.00	
(2) Income Tax on Dividend Paid		1,01,800.00	6,01,800.00	0.00	0.00
Retained Earnings at the end of year			59,46,243.26		-24,83,196.00
Earning per equity share:					
(1) Basic & Diluted			130.96		-49.66

In witness & confirmation of facts.
Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.

In term of our audit report of even date.
For Rakesh Ashok & Co.
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 011273C

(Ayyanu Moonpanar Ponnuchamy)
Managing Director
DIN:07869683

(Alok Tripathi)
Director
DIN:07653593

(Bhupendra Singh)
Director
DIN:08063497

(V. K. Gupta)
Partner
M.No. 407189

Place : Jaipur
Date : 28 Sept. 2018

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर

कमरा नं. 756, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर

सीआईएनः यू 45201आरजे2013एसजीसी043014

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिये रोकड़ प्रवाह विवरण

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिये
ए. संचालन गतिविधि से रोकड़ प्रवाह		
कर पूर्व शुद्ध लाभ	**95,04,295.26**	**-29,93,071.00**
समायोजन हेतु		
वित्तीय लागत	2,405.56	1,064.00
मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय	1,23,613.83	8,444.00
आयकर भुगतान	0.00	0.00
गैर संचालन ब्याज आय	-14,96,840.00	-2,00,359.00
कार्यशील पूंजी से पूर्व परिचालन लाभ	**81,33,474.65**	**-31,83,922.00**
व्यापारिक देनदारियां	48,06,158.00	0.00
अन्य चालू दायित्व	3,47,72,472.00	1,21,27,023.00
अनुपयोगी निधियां	26,01,24,440.00	9,29,69,198.00
ऋण और अग्रिम	-32,16,785.00	-18,600.00
अन्य चालू आस्तियाँ	-39,53,182.00	-1,31,114.00
संचालन गतिविधियों से उत्पन्न नगद	**29,25,33,103.00**	**10,49,46,507.00**
संचालन गतिविधि से शुद्ध रोकड़ (ए)	**30,06,66,577.65**	**10,17,62,585.00**
बी. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
स्थिर आस्तियां की खरीद	-18,87,249.00	-70,800.00
स्थिर आस्तियां की खरीद (कार्य प्रगति पर की पूंजी)	0.00	0.00
स्थिर आस्तियां की बिक्री (कार्य प्रगति पर की पूंजी)	0.00	0.00
निवेश पर प्राप्त ब्याज	14,96,840.00	2,00,359.00
निवेश गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (बी)	**-3,90,409.00**	**1,29,559.00**
सी. वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
अंश पूंजी की आय	0.00	50,00,000.00
अंश आवदेन पत्र की राशि	0.00	50,00,000.00
वित्तीय लागत भुगतान	-2,405.56	-1,064.00
वित्तीय गतिविधि से शुद्ध नकद प्रवाह (सी)	**-2,405.56**	**99,98,936.00**
शुद्ध वृद्धि (कमी) नगद एवं नगद समतुल्य में (ए+बी+सी)	**30,02,73,763.09**	**11,18,91,080.00**
ई. वर्ष के आरम्भ में नकद एवं नकद समतुल्य	**11,18,91,080.00**	**0.00**
एफ. वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य	**41,21,64,843.09**	**11,18,91,080.00**

गवाहों एवं तथ्यों की पुष्टि में
कृते राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड

हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार
कृते राकेश अशोक एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ.आर.एन. 011273सी

(अय्यनू मूपनार पोन्नुचामी)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन : 07869683

(आलोक त्रिपाठी)
निदेशक
डीआईएन : 07653593

(भूपेन्द्र सिंह)
निदेशक
डीआईएन :08063497

(वी. के. गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता नं. 407189

स्थान : जयपुर
दिनांक : 28.09.2018

RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

Room No.756,Police Headquarters,Lal Kothi Scheme,jaipur

CIN-U45201RJ2013SGC043014

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2018

Particulars	Year Ended 31.03.2018	Year Ended 31.03.2017
A. CASH FLOW FROM OPERATIVE ACTIVITIES:		
Net Profit Before Tax	**95,04,295.26**	**-29,93,071.00**
Adjustments for:		
Finance Cost	2,405.56	1,064.00
Depreciation & Amortisation	1,23,613.83	8,444.00
Income Tax Paid	0.00	0.00
Non operating Interest Income	-14,96,840.00	-2,00,359.00
Operating Profit before working capital changes	**81,33,474.65**	**-31,83,922.00**
Changes in		
Trade Payable	48,06,158.00	0.00
Other Current Liabilities	3,47,72,472.00	1,21,27,023.00
Un-utilized Fund	26,01,24,440.00	9,29,69,198.00
Loans & Advances	-32,16,785.00	-18,600.00
Other Current Assets	-39,53,182.00	-1,31,114.00
Cash Generated From Operation	**29,25,33,103.00**	**10,49,46,507.00**
Net Cash Flow from Operating Activities (A)	**30,06,66,577.65**	**10,17,62,585.00**
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Purchase of Fixed Assets	-18,87,249.00	-70,800.00
Purchase of Fixed Assets (Capital work in progress)	0.00	0.00
Sale of Fixed Assets(Capital work in progress)	0.00	0.00
Interest received on investment	14,96,840.00	2,00,359.00
Net Cash Flow in investing activities (B)	**-3,90,409.00**	**1,29,559.00**
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Proceeds of Share Capital	0.00	50,00,000.00
Share Application Money	0.00	50,00,000.00
Finance Cost Paid	-2,405.56	-1,064.00
Net Cash Flow from financing activities (C)	**-2,405.56**	**99,98,936.00**
D. Net Increase (Decrease) in cash & cash equivalents (A+B+C)	**30,02,73,763.09**	**11,18,91,080.00**
E. Opening cash and cash equivalents	**11,18,91,080.00**	**0.00**
F. Closing cash and cash equivalents	**41,21,64,843.09**	**11,18,91,080.00**

In witness & confirmation of facts.
For Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.

In term of our audit report of even date.
For Rakesh Ashok & Co.
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 011273C

(Ayyanu Moonpanar Ponnuchamy)
Managing Director
DIN:07869683

(Alok Tripathi)
Director
DIN:07653593

(Bhupendra Singh)
Director
DIN:08063497

(V. K. Gupta)
Partner
M.No. 407189

Place : Jaipur
Date : 28 Sept. 2018

अंशपूंजी **टिप्पणी संख्या 1**

विवरण	31 मार्च, 2018 को रकम (रू.)	31 मार्च, 2017 को रकम (रू.)
अधिकृत अंशपूंजी प्रत्येक 100 रू. मूल्य के 1,00,000 समता अंश	1,00,00,000	1,00,00,000
निर्गमित पूंजी प्रत्येक 100 रू मूल्य के 50,000 समता अंश	50,00,000	50,00,000
अभिदत एवं पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक 100 रू मूल्य के 50,000 समता अंश	50,00,000	50,00,000
	50,00,000	50,00,000

(ए) बकाया अंशो की संख्या का समाधान विवरण निम्नानुसार :

विवरण	31 मार्च, 2018 को अंशों की संख्या	31 मार्च, 2017 को अंशों की संख्या
वर्ष के प्रारम्भ में समता अंश	50,000	50,000
जोड़ियें : वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	–	–
घटाईये : वर्ष के दौरान वापसी खरीद	–	–
वर्ष के अन्त में समता अंश	**50,000**	**50,000**

ब) लाभांश के वितरण और पूंजी के पुर्नभुगतान पर प्रतिबन्ध सहित अंशों के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने का कोई अधिकार, वरीयता और प्रतिबन्ध नहीं है।

(सी) कम्पनी के अंशो के 5 प्रतिशत से अधिक धारण करने वाले अंशधारियों का विवरण

अंशधारक का नाम	अंशों की संख्या	धारिता का प्रतिशत
महामहिम राज्यपाल की ओर से श्री सुरेश चन्द्र दिनकर (सचिव वित्त व्यय)	49,994	99.99%

आरक्षित एवं अधिशेष **टिप्पणी संख्या : 2**

विवरण	31 मार्च, 2018 को रकम (रू.)	31 मार्च, 2017 को रकम (रू.)
ए. लाभ एवं हानि खाता		
प्रारम्भिक अधिशेष	-29,93,071.00	-5,09,875.00
जोड़ियें : कर पश्चात शुद्ध लाभ जो लाभहानि खाते से स्थानान्तरित किया गया	59,46,243.26	-24,83,196.00
योग (ए)	**29,53,172.26**	**-29,93,071.00**
ब. पूंजी अनुदान		
प्रारम्भिक अनुदान	0.00	0.00
जोड़ियें : वर्ष के दौरान प्राप्त	0.00	0.00
योग (बी)	**0.00**	**0.00**
योग (ए+बी)	**29,53,172.26**	**-29,93,071.00**

SHARE CAPITAL **NOTE- 1**

Particulars	Amount (Rs.) As on 31.03.2018	Amount (Rs.) As on 31.03.2017
Authorised Share Capital 100000 Equity Shares of Rs. 100/- each	1,00,00,000.00	1,00,00,000.00
Issued Capital 50000 Equity Shares of Rs. 100/- each	50,00,000.00	50,00,000.00
Subscribed and Fully Paid up Capital 50000 Equity Shares of Rs. 100/- each	50,00,000.00	50,00,000.00
	50,00,000.00	50,00,000.00

A) The reconciliation of the number of shares outstanding as under: -

Particulars	As on 31.03.2018 No. of Shares	As on 31.03.2017 No. of Shares
Equity Shares at the beginning of the year	50000	50000
Add: Issued during the year	0	0
Less: Buy back during the year	0	0
Equity Shares at the end of the year	50000	50000

B) There are no right, preference and restriction attaching to each class of shares including restriction on the distribution of dividend and the repayment of capital.

C) The Details Of Shareholders Holding More Than 5% Shares

Name Of The Shareholders	No. Of Shares Held	Percentage(%)
Shri Suresh Chandra Dinkar (Sec. Finance Expenditure) on behalf of his excellency the Governer of Rajasthan	49,994	99.99

RESERVES & SURPLUS: **NOTE-2**

PARTICULARS	AMOUNT(Rs) As on 31.03.2018	AMOUNT (Rs) As on 31.03.2017
A. Profit & Loss Account		
Opening Surplus	-29,93,071.00	-5,09,875.00
Add: Net Profit after Tax transferred from Statement of P & L	59,46,243.26	-24,83,196.00
Total (A)	**29,53,172.26**	**-29,93,071.00**
B. Capital Subsidy		
Opening Grant	0.00	0.00
Add: Received during the year	0.00	0.00
Total (B)	**0.00**	**0.00**
Tota (A+B)	**29,53,172.26**	**-29,93,071.00**

आस्थगित कर दायित्व **टिप्पणी संख्या 3**

विवरण	31 मार्च, 2018 को रकम (रू.)	31 मार्च, 2017 को रकम (रू.)
ए. आस्थगित कर दायित्व		
स्थिर आस्तियां पर मूल्य ह्रास से संबंधित	56,252.00	0.00
	0.00	0.00
योग (ए)	**56,252.00**	**0.00**
बी. आस्थगित कर आस्तियां		
अवशोषित ह्रास से संबंधित	0.00	0.00
योग (बी)	**0.00**	**0.00**
योग (ए – बी)	**56,252.00**	**0.00**

भारत की चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था द्वारा जारी किये गये लेखा मानक–22 ''आय पर कर हेतु लेखांकन'' के अनुसार कम्पनी पिछल वर्ष 2016–17 की आस्तियों पर आस्थगित कर नहीं दिया है।

वर्तमान उत्तरदायित्व और प्रावधान **टिप्पणी संख्या 4**

विवरण	31 मार्च, 2018 को रकम (रू.)	31 मार्च, 2017 को रकम (रू.)
ए. राज्य सरकार से प्राप्त अनुपयुक्त कोष		
राज्य सरकार से प्राप्त कोष	54,78,76,000.00	9,44,00,000.00
घटाइए : व्यय प्रोरेटा को शामिल करते हुए	-19,47,82,362.00	-14,30,802.00
उप योग (ए)	**35,30,93,638.00**	**9,29,69,198.00**
बी. व्यापार देयता	**48,06,158.00**	**0.00**
सी. अन्य चालू दायित्व		
i. धरोहर राशि	1,94,57,957.00	1,09,34,900.00
ii. अमानत राशि	1,80,36,747.00	2,32,406.00
iii. वैधानिक देयताएं	12,22,803.00	73,064.00
iv. व्यय हेतु लेनदार	2,51,690.00	6,45,285.00
v. अदत्त दायित्व	7,70,338.00	2,41,368.00
vi. निर्माण कार्यों के विरूद्ध प्रतिधारण राशि	1,67,379.00	0.00
vii. असंतुलित बोली सुरक्षा राशि	69,92,581.00	0.00
उप योग (सी)	**4,68,99,495.00**	**1,21,27,023.00**
डी. अल्प अवधि प्रावधान		
i. **कर के लिए प्रावधान**	29,00,000.00	0.00
ii. **प्रस्तावित लाभांश**	5,00,000.00	0.00
iii. **लाभांश वितरण कर**	1,01,800.00	0.00
उप योग (डी)	**35,01,800.00**	**0.00**
योग (ए+बी+सी+डी)	**40,83,01,091.00**	**10,50,96,221.00**

DEFERRED TAX LIABILITIES **NOTE- 3**

Particulars	Amount (Rs.) As on 31.03.2018	Amount (Rs.) As on 31.03.2017
A. Deferred Tax Liabilities		
Related to depreciation on Fixed Assets	56,252.00	0.00
	0.00	0.00
Total (A)	**56,252.00**	**0.00**
B. Deferred Tax Assets		
Related to unabsorbed depreciation	0.00	0.00
Total (B)	**0.00**	**0.00**
TOTAL (A-B)	**56,252.00**	**0.00**

Note:
The company has not provided for deferred tax assets in previous year 2016-17 in accordance with AS-22 " Accounting of Taxes on Income" issued by ICAI.

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS **NOTE- 4**

Particulars	Amount (Rs.) As on 31.03.2018	Amount (Rs.) As on 31.03.2017
A. Un-utilized Fund received from State Govt.		
Fund received from Rajasthan Government	54,78,76,000.00	9,44,00,000.00
Less: Expenditure incurred includes prorate charges	-19,47,82,362.00	-14,30,802.00
Sub Total (A)	**35,30,93,638.00**	**9,29,69,198.00**
B. Trade Payable	**48,06,158.00**	**0.00**
C. Other Current Liabilities		
i. Earnest Money Deposit	1,94,57,957.00	1,09,34,900.00
ii. Security Deposit	1,80,36,747.00	2,32,406.00
iii. Statutory Liabilities	12,22,803.00	73,064.00
iv. Creditors for Expenses	2,51,690.00	6,45,285.00
v. Outstanding Liabilities	7,70,338.00	2,41,368.00
vi. Retention amount ag. Work	1,67,379.00	0.00
vii.Unbalanced Bid Security	69,92,581.00	0.00
Sub Total (C)	**4,68,99,495.00**	**1,21,27,023.00**
D. Short Term Provisions		
i. Provision For Tax	29,00,000.00	0.00
ii. Proposed Dividend	5,00,000.00	0.00
iii. Dividend Distribution Tax	1,01,800.00	0.00
Sub Total (D)	**35,01,800.00**	**0.00**
TOTAL (A+B+C+D)	**40,83,01,091.00**	**10,50,96,221.00**

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड,
जयपुर

टिप्पणी संख्या 5

अचल सम्पतियां चार्ट

विवरण	दर	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास			शुद्ध ब्लॉक	
		01.04.2017 को	वृद्धि	विलोपन	31.03.2018 को	01.04.2017 तक	वर्ष के दौरान	31.03.2018 तक	31.03.2018 को	31.03.2017 को
कम्प्यूटर	63.16%	51,000.00	5,64,650.00	0.00	6,15,650.00	2,515.00	93,443.64	95,958.64	5,19,691.36	48,485.00
प्रिन्टर्स	63.16%	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	705.00	8,586.60	9,291.60	5,008.40	13,595.00
स्कैनर	63.16%	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	3,277.00	0.00	3,277.00	173.00	173.00
यूपीएस	63.16%	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	1,947.00	0.00	1,947.00	103.00	103.00
कार सीआईएजेड	25.89%	0.00	13,13,609.00	0.00	13,13,609.00	0.00	21,430.54	21,430.54	12,92,178.46	0.00
ब्रिफेकस	25.89%	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00	0.00	153.04	153.04	8,836.96	0.00
योग		**70,800.00**	**18,87,249.00**	**0.00**	**19,58,049.00**	**8,444.00**	**1,23,613.83**	**1,32,057.83**	**18,25,991.17**	**62,356.00**
पिछले वर्ष		**0.00**	**70,800.00**	**0.00**	**70,800.00**	**0.00**	**8,444.00**	**8,444.00**	**62,356.00**	

CIN : U45201RJ2013SGC043014

RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED

ROOM No. 756, POLICE HEADQUARTERS, LAL KOTHI SCHEME

JAIPUR

NOTE-5

FIXED ASSETS CHART

PARTICULARS	RATE	GROSS BLOCK				DEPRECIATION			NET BLOCK	
		AS ON 01.04.2017	ADDIT-IONS	DELE-TION	AS ON 31.03.2018	UPTO 01.04.2017	FOR THE YEAR	UPTO 31.03.2018	AS ON 31.03.2018	AS ON 31.03.2017
Computer	63.16%	51,000.00	5,64,650.00	0.00	6,15,650.00	2,515.00	93,443.64	95,958.64	5,19,691.36	48,485.00
Printer	63.16%	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	705.00	8,586.60	9,291.60	5,008.40	13,595.00
Scanner	63.16%	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	3,277.00	0.00	3,277.00	173.00	173.00
UPS	63.16%	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	1,947.00	0.00	1,947.00	103.00	103.00
Car CIAZ	25.89%	0.00	13,13,609.00	0.00	13,13,609.00	0.00	21,430.54	21,430.54	12,92,178.46	0.00
Briefcase	25.89%	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00	0.00	153.04	153.04	8,836.96	0.00
TOTAL		**70,800.00**	**18,87,249.00**	**0.00**	**19,58,049.00**	**8,444.00**	**1,23,613.83**	**1,32,057.83**	**18,25,991.17**	**62,356.00**
Previous year		**0.00**	**70,800.00**	**0.00**	**70,800.00**	**0.00**	**8,444.00**	**8,444.00**	**62,356.00**	

चालू सम्पतियां, ऋण और अग्रिम टिप्पणी संख्या 6

विवरण	31 मार्च, 2018 को रकम (रू.)	31 मार्च, 2017 को रकम (रू.)
ए. नगद एवं नगद समान		
i. अनुसूचित बैकों में शेष		
- चालू खाता	2,00,73,524.09	1,29,91,080.00
- पी/डी खाता	34,84,10,601.00	8,14,00,000.00
- स्थाई जमा खाता	4,36,80,718.00	1,75,00,000.00
ii. हस्तगत रोकड़	0.00	0.00
उप योग (ए)	**41,21,64,843.09**	**11,18,91,080.00**
बी. अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम		
(अच्छा और असुरक्षित माना जाता है, नगद या प्रकार में वसूली योग्य जिसके लिए मूल्य प्राप्त किया जाना चाहिए)		
i. कर्मचारी को अग्रिम	33,600.00	18,600.00
ii. ठेकेदारों को अग्रिम	32,01,785.00	0.00
उप योग (बी)	**32,35,385.00**	**18,600.00**
सी. अन्य चालू आस्तियां		
i. स्रोत पर कर की कटौती/स्रोत पर कर संग्रहण	1,90,991.00	29,631.00
ii. एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	8,92,305.00	1,01,483.00
ii. अग्रिम आयकर	30,01,000.00	0.00
उप योग (सी)	**40,84,296.00**	**1,31,114.00**
योग (ए + बी + सी)	**41,94,84,524.09**	**11,20,40,794.00**

परिचालन से राजस्व टिप्पणी संख्या 7

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिये	31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिये
किये गए कार्यों पर प्रोरेटा चार्ज	1,55,76,502.00	1,16,694.00
कुल आय	**1,55,76,502.00**	**1,16,694.00**

CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES **NOTE- 6**

Particulars	Amount (Rs.) As on 31.03.2018	Amount (Rs.) As on 31.03.2017
A. Cash & Cash Equivalent		
i. Balances with scheduled bank		
-in current A/cs	2,00,73,524.09	1,29,91,080.00
-in PD A/s	34,84,10,601.00	8,14,00,000.00
-in FD A/c	4,36,80,718.00	1,75,00,000.00
ii. Cash on Hand	0.00	0.00
Sub Total (A)	**41,21,64,843.09**	**11,18,91,080.00**
B. Short Term Loans & Advances		
(considered good and unsecured, Recoverable in cash or kind for which value to be received)		
i. Advance to Staff	33,600.00	18,600.00
ii. Advance to Contractors	32,01,785.00	0.00
Sub Total (B)	**32,35,385.00**	**18,600.00**
C. Other Current Assests		
i. Tax Deducted at Source/ Tax Collected at Source	1,90,991.00	29,631.00
ii. Accrued Interest on FDs	8,92,305.00	1,01,483.00
ii.Advance Income Tax	30,01,000.00	0.00
Sub Total (C)	**40,84,296.00**	**1,31,114.00**
TOTAL (A+B+C)	**41,94,84,524.09**	**11,20,40,794.00**

REVENUE FROM OPERATION **NOTE-7**

Particulars	Amount (Rs.) For The Year 2017-18	Amount (Rs.) For The Year 2016-17
Prorate Charges on Work Done	1,55,76,502.00	1,16,694.00
TOTAL REVENUE	**1,55,76,502.00**	**1,16,694.00**

अन्य आय टिप्पणी संख्या 8

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिये	31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिये
ए) निविदा शुल्क	5,30,080.00	2,34,600.00
बी) ब्याज की आय	14,96,840.00	2,00,359.00
सी) कार्मिक से वाहन किराया	25,000.00	10,342.00
डी) अन्य प्राप्तियां	400.00	
ई) आयकर की प्रतिदाय पर ब्याज	0.00	1,173.00
योग	**20,52,320.00**	**4,46,474.00**

कार्मिक हित व्यय टिप्पणी संख्या 9

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिये	31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिये
कार्मिक वेतन	47,76,796.00	23,70,993.00
योग	**47,76,796.00**	**23,70,993.00**

वित्तीय व्यय टिप्पणी संख्या 10

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिये	31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिये
बैक प्रभार	2,405.56	1,064.00
योग	**2,405.56**	**1,064.00**

OTHER INCOME **NOTE-8**

Particulars	Amount (Rs.) For The Year 2017-18	Amount (Rs.) For The Year 2016-17
a) Tender Fees	5,30,080.00	2,34,600.00
b) Interest on FDR	14,96,840.00	2,00,359.00
c) Vehicle Rent from Employees	25,000.00	10,342.00
d) Misc. Receipts	400.00	
e) Interest on TDS Refund	0.00	1,173.00
TOTAL	**20,52,320.00**	**4,46,474.00**

EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES **NOTE-9**

Particulars	Amount (Rs.) For The Year 2017-18	Amount (Rs.) For The Year 2016-17
Staff Salary	47,76,796.00	23,70,993.00
TOTAL	**47,76,796.00**	**23,70,993.00**

FINANCIAL EXPENSES **NOTE-10**

Particulars	Amount (Rs.) For The Year 2017-18	Amount (Rs.) For The Year 2016-17
Bank Charges	2,405.56	1,064.00
TOTAL	**2,405.56**	**1,064.00**

प्रशासनिक एवं अन्य व्यय **टिप्पणी संख्या 11**

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिये	31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिये
विज्ञापन खर्च	0.00	36,359.00
लेखाकंन शुल्क	46,800.00	0.00
अंकेक्षण शुल्क	20,060.00	17,425.00
पेंशन फण्ड में अंशदान	5,56,262.00	0.00
निर्माण कार्यों पर परामर्श शुल्क	20,29,717.00	0.00
निदेशक पारिश्रमिक/मिटिंग शुल्क	12,500.00	0.00
डीएससी व्यय	0.00	7,300.00
सेवाकर पर ब्याज	19,327.00	0.00
टीडीएस पर ब्याज	18,128.00	0.00
कानूनी एवं व्यावसायिक शुल्क	1,87,200.00	2,02,200.00
मेडिकल व्यय	34,178.00	0.00
कार्यालय खर्च	13,028.00	0.00
कार्यालय किराया	1,31,362.00	0.00
डाक व्यय	720.00	0.00
छपाई एवं स्टेशनरी	42,716.00	3,900.00
जलपान के लिये व्यय	1,806.00	1,710.00
आरओसी फाइलिंग प्रभार	32,900.00	0.00
सुरक्षा व्यय	0.00	73,833.00
टेलीफोन व्यय	59,766.00	7,841.00
यात्रा व्यय	15,241.00	0.00
वाहन संचालन व्यय	0.00	3,15,295.00
योग	**32,21,711.00**	**6,65,863.00**

ADMINISTRATIVE & OTHER EXPENSES **NOTE-11**

Particulars	Amount (Rs.) For The Year 2017-18	Amount (Rs.) For The Year 2016-17
Advertising Expenses	0.00	36,359.00
Accounting Charges	46,800.00	0.00
Audit Fees	20,060.00	17,425.00
Contribution to Pension Fund	5,56,262.00	0.00
Consultancy for Work	20,29,717.00	0.00
Director Remuneration/ Meeting Fees	12,500.00	0.00
DSC Expenses	0.00	7,300.00
Interest on Service Tax	19,327.00	0.00
Interest On TDS	18,128.00	0.00
Legal and Professional Charges	1,87,200.00	2,02,200.00
Medical Expenses	34,178.00	0.00
Office Expenses	13,028.00	0.00
Office Rent	1,31,362.00	0.00
Postage and Stamp Expenses	720.00	0.00
Printing & Stationary	42,716.00	3,900.00
Refreshment Expenses	1,806.00	1,710.00
ROC Filling Charges	32,900.00	0.00
Security Expenses	0.00	73,833.00
Telephone Expenses	59,766.00	7,841.00
Travelling expenses	15,241.00	0.00
Vehicle Running Expenses	0.00	3,15,295.00
TOTAL	**32,21,711.00**	**6,65,863.00**

31.03.2018 को विभिन्न लेनदार (व्यापारिक)

क्र.सं.	विवरण	रकम (रू.)
1	केन्द्रीय भण्डार	2,61,600.00
2	शर्मा कन्सट्रशन	14,31,214.00
3	ट्राईंगल इंजीनियर्स	31,13,344.00
	योग	**48,06,158.00**

31.03.2018 को व्यय के लिए लेनदारों की सूची

क्र.सं.	विवरण	रकम (रू.)
1	जयपुर एक्स–सर्विस मैन	9,229.00
2	राजेश टैक्सी सर्विस	19,775.00
3	सीमा अग्रवाल	41,150.00
4	श्याम एल अग्रवाल एण्ड कम्पनी	49,950.00
5	श्याम ट्यूर्स एण्ड ट्रेवलर्स	224.00
6	एसपी सेन्ट्रल स्टोर्स, जयपुर	1,31,362.00
	योग	**2,51,690.00**

31.03.2018 को सांविधिक दायित्वों की सूची

क्र.सं.	विवरण	रकम (रू.)
1	ईसीपीएफ देय	7,823.00
2	जीपीएफ देय	44,648.00
3	समूह बीमा	506.00
4	जीएसटी देय	11,434.00
5	श्रमिक सैस देय	2,26,847.00
6	जीआईएआईएस	120.00
7	पुरानी एचबीए	5,000.00
8	एचएफआरएच	4,488.00
9	एलआईसी	3,185.00
10	एलआईसी एचएफएल	4,945.00
11	एमआरएफ	565.00
12	आरपीएमएफ	2,780.00
13	एसआईपी	16,950.00
14	पेंशन फण्ड देय	3,40,901.00
15	पत्रकार कल्याण कोष	4,185.00
16	सेवाकर देय	12,055.00
17	टीडीएस देय	5,25,311.00
18	डब्ल्यूसीटी देय	11,060.00
	कुल	**12,22,803.00**

LIST OF SUNDRY CREDITORS (TRADE PAYABLE) AS ON 31.03.2018

S.No.	Particulars	Amount (Rs.)
1	Kendriya Bhandar	2,61,600.00
2	Sharma Construction	14,31,214.00
3	Triangle Engineers	31,13,344.00
	TOTAL	**48,06,158.00**

LIST OF CREDITORS FOR EXPENSES AS ON 31.03.2018

S.No.	Particulars	Amount (Rs.)
1	Jaipur Ex-Service Man	9,229.00
2	Rajesh Taxi Service	19,775.00
3	Seema Agarwal	41,150.00
4	Shyam L Agarwal & Co	49,950.00
5	Shyam Tours and Travels	224.00
6	SP Central Stores, Jaipur	1,31,362.00
	TOTAL	**2,51,690.00**

LIST OF STATUTORY LIABILITIES AS ON 31.03.2018

S.No.	Particulars	Amount (Rs.)
1	ECPF Payable	7,823.00
2	GPF Payable	44,648.00
3	Group Insurance	506.00
4	GST Payable	11,434.00
5	Labour Cess Payable	2,26,847.00
6	GIAIS	120.00
7	HBA Old	5,000.00
8	HFRH	4,488.00
9	LIC	3,185.00
10	LIC HFL	4,945.00
11	MRF	565.00
12	RPMF	2,780.00
13	SIP	16,950.00
14	Pension Fund Payable	3,40,901.00
15	Patrakar Kalyan Kosh	4,185.00
16	Service Tax Payable	12,055.00
17	TDS Payable	5,25,311.00
18	WCT Payable	11,060.00
	TOTAL	**12,22,803.00**

31.03.2018 को अदत्त दायित्वों की सूची

क्र.सं.	विवरण	रकम (रू.)
1	अंकेक्षण शुल्क देय	37,310.00
2	ई–टेण्डर शुल्क देय	20,500.00
3	टेलीफोन खर्च देय	7,888.00
4	वेतन देय	7,04,640.00
	कुल	**7,70,338.00**

31.03.2018 को बैंक खातों की सूची

क्र.सं.	विवरण	रकम (रू.)
1	एचडीएफसी बैक	77,62,179.00
2	आईडीबीआई बैक	1,13,42,605.00
3	पंजाब नेशनल बैक	9,68,740.09
	कुल	**2,00,73,524.09**

31.03.2018 को कार्मिकों को देय अग्रिम की सूची

क्र.सं.	विवरण	रकम (रू.)
1	मुरारीलाल वर्मा	15,000.00
2	नन्द किशोर	18,600.00
	कुल	**33,600.00**

31.03.2018 को ठेकेदारों को अग्रिम की सूची

क्र.सं.	विवरण	रकम (रू.)
1	श्रमिक सैस की कम कटौती	1,78,582.00
2	गुलशन रॉय जैन	10,57,550.00
3	अमानत राशि की कम कटौती	19,65,653.00
	कुल	**32,01,785.00**

LIST OF OUTSTANDING LIABILITIES AS ON 31.03.2018

S.No.	Particulars	Amount (Rs.)
1	Audit Fees Payable	37,310.00
2	E-Tender Fees Payable	20,500.00
3	Telephone Expenses Payable	7,888.00
4	Salary Payable	7,04,640.00
	TOTAL	**7,70,338.00**

LIST OF BANK ACCOUNTS AS ON 31.03.2018

S.No.	Particulars	Amount (Rs.)
1	HDFC Bank	77,62,179.00
2	IDBI Bank	1,13,42,605.00
3	Punjab National Bank	9,68,740.09
	TOTAL	**2,00,73,524.09**

LIST OF ADVANCE TO STAFF AS ON 31.03.2018

S.No.	Particulars	Amount (Rs.)
1	Murari Lal Verma	15,000.00
2	Nand Kishore	18,600.00
	TOTAL	**33,600.00**

LIST OF ADVANCE TO CONTRACTORS AS ON 31.03.2018

S.No.	Particulars	Amount (Rs.)
1	Labour Cess Short Deducted	1,78,582.00
2	Gulshan Rai Jain	10,57,550.00
3	Security Deposit Short Deducted	19,65,653.00
	TOTAL	**32,01,785.00**

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर
कमरा नं.. 756, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी स्कीम, जयपुर
सीआईएनः यू 45201आरजे2013एसजीसी043014

लेखांकन नीतियाँ एवं लेखों पर टिप्पणी

टिप्पणी संख्या 12.

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(1) सामान्य

लेखांकन नीतियां सामान्य तौर पर स्थापित एवं स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप है।

(2) मूल प्रस्तुति और लेखांकन

प्रयोज्य लेखांकन मानकों के अनुसार लेखें ऐतिहासिक लागत परम्परा के अन्तर्गत लेखांकन के संभूति आधार पर तैयार किये गये है। इन वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 211(3सी) के संबंध में निगम कार्यकलाप मंत्रालय द्वारा जारी किया गया साधारण परिपत्र 15/2013 दिनांक 13 सितम्बर, 2013 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में संदर्भित लेखांकन मानको के साथ सभी सारवान पहलूओं की पालना में तैयार किया गया है। लेखांकन नीतियां जो विशेष रूप से अन्यथा संदर्भित नहीं है, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के सुसंगत है।

(3) प्राक्कलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप तैयार करने के लिये, प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों की दिनांक को आस्तियों एवं दायित्वों की प्रतिवेदित राशि एवं समाश्रित दायित्वों के प्रकटीकरण एवं रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान परिचालनों के परिणाम को प्रभावित करने वाले घटकों का पूर्वानुमान एवं आंकलन करना अपेक्षित है। यद्यपि ये प्राक्कलन प्रबंधन के वर्तमान घटनाओं और कार्यों के उत्तम ज्ञान पर आधारित है, परन्तु वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते है।
प्रत्येक तुलन–पत्र की दिनांक को प्राक्कलन एवं निहित पूर्वधारणाओं की समीक्षा की जाती है। प्राक्कलनों में संशोधन को उस अवधि में जिसमें परिणाम ज्ञात होते है, मान्यता दी जाती है।

(4) राजस्व मान्यता

कम्पनी लेखांकन की व्यापारिक पद्धति का अनुसरण करती है तथा आय–व्यय के महत्वपूर्ण मदों को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता देती है।राजस्व मान्यता से पहले निम्नलिखित मापदण्डों को पूरा किया जा सकता है।

RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

Room No.756,Police Headquarters,Lal Kothi Scheme,jaipur

CIN-U45201RJ2013SGC043014

ACCOUNTING POLICIES & NOTES ON ACCOUNTS

Note No. 12

A. Significant Accounting Policies

1. General :-

Accounting Policies not specifically referred to otherwise be consistent and in consonance with generally accepted accounting principles.

2. Basic of presentation and accounting

The accounts are prepared on the accrual basis of accounting under the historical cost convention in accordance with the applicable accounting standards. These financial statements have been prepared to comply with all material aspects with the accounting notified under section 211(3C) of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the General Circular 15/2013 dated 13th September, 2013 of the Ministry of Corporate Affairs in respect of Section 133 of the Companies Act, 2013.Accounting policies not specifically referred to otherwise are consistent with generally accepted accounting principles.

3. Use of estimates

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the date of the financial statements and the results of operations during the reporting year end. Although these estimates are based upon management's best knowledge of current events and actions, actual results could differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed at each Balance Sheet date. Revisions in the estimates are recognized in the periods in which the results are known/materialize.

4. Revenue Recognition

The Company follows mercantile system of accounting and recognizes significant items of income & expenditure on accrual basis. The following recognition criteria also be met before revenue is recognized.

कम्पनी, राजस्थान सरकार के गृह विभाग (अनुभाग सहित) के लिए तथा के निमित्त, सरकार द्वारा कार्यों की स्वीकृति के अनुसार तथा सरकार द्वारा प्रत्येक निर्माण संविदा के लिए पृथक से निधि दिए जाने पर एक एजेन्सी के रूप में कार्यरत है। कम्पनी सरकार की ओर से संवेदकों को कार्य दे रही है क्योंकि कुल लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है तथा कम्पनी केवल इसकी एजेन्सी सेवाओं के लिए उपगत वास्तविक राशि के यथानुपात 9 प्रतिशत की दर की पात्र है। इसलिए, कम्पनी वर्ष के दौरान निर्माण गतिविधियों पर उपगत वास्तविक राशि की नो प्रतिशत की सीमा तक राजस्व मान रही है।

सरकार से प्राप्त निधियों को परियोजनावार चालू देयताओं के मदान्तर्गत अग्रदान निधियों के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है तथा उपयोग में लायी गयी राशि को सम्बन्धित निधि लेखें मे ंसे दर्शाया तथा समायोजित किया जाता है और विवरण सम्बन्धित सरकारी विभाग को भेजा जा रहा है।

कम्पनी को सरकार से परियोजनावार प्राप्त अग्रदाय निधि का, संविदाकार द्वारा सम्पादित निर्माण गतिविधि के लिए वास्तविक आधार पर संविदाकारों को भुगतान किए जाने के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने की अनुमति नहीं है। संविदाकार को भुगतान, माप पुस्तिका, जिसमें कार्य की प्रगति अंकित की जाती है तथा सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात् किया जाता है। यदि परियोजना मद में प्राप्त निधि में से, कार्य पूरा हो जाने तथा निर्माण गतिविधि के दायित्वों की विमुक्ति के पश्चात् कोई निधि शेष रहती है, तो इसे सरकार को लौटा दिया जाता है।

ब्याज आय, निवेशित राशि तथा प्रयोज्य दर को ध्यान में रखते हुए, समय समानुपात आधार पर मानी जाती है।

(5) मूर्त आस्तियां

मूर्त आस्तियां, संचित ह्रास और क्षीणता हानि, यदि कोई हो, को घटाकर उनके निर्माण के अधिग्रहण की लागत पर वर्णित है। लागत में आस्तियों की क्रय लागत, शुल्क उद्ग्राह्यतायें तथा आस्तियों को प्रबन्धन द्वारा इनके अभिप्रेत उपयोग की दशा में लाने के लिए प्रत्यक्ष आरोप्य लागत समाविष्ट है। यह प्रतिदेय करों रहित होगी।

(6) हास व ऋणमुक्ति

i. किसी भी आस्ति मद के प्रत्येक हिस्से पर ह्रास, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के अनुसार ह्रासित मूल्य पद्धति पर लागत का 5% अवशिष्ट मूल्य रखते हुए, परिकलित किया जाएगा। किसी आस्ति मद का प्रत्येक हिस्से जो मद की कुल लागत के सापेक्ष में महत्वपूर्ण है, को पृथक से ह्रासित किया जाएगा। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के भाग सी में यथा परिभाषित किसी आस्ति का उपयोगी जीवन काल का आशय सभी अमूर्त आस्तियों के लिए लिया जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में किसी आस्ति का अवशिष्ट मूल्य तथा उपयोगी जीवन काल तथा परिवर्तन यदि कोई हो, को लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में लेखाबद्ध किया जाएगा।

The company is working as an agency for and on behalf of Home Department (incl. Its sections) of Government of Rajasthan as per sanctions of the works by the government and release of funds by the government separately for each construction contract. The Company is awarding the work to the contractors for and on behalf of the government as the total cost is to be borne by the Government and the company is only entitled for its agency services, a pro rata charges @nine percent of the actual amount incurred. The Company is therefore, recognizing the revenue to the extent of nine percent of the actual amount incurred on the construction activities during the year.

The funds received from the Government are accounted for as imprest funds project-wise under the head current liabilities and the amount utilized is shown and adjusted from the respective fund account and the statement is being sent to the concerned govt. department.

The company is not allowed to utilize the imprest fund received project-wise from the government for any purpose other than making payments to the contractors on the actual basis for construction activity carried out by the contractor. The payment is made to the contractor only on the basis of Measurement Book wherein the progress of construction work is measured and once approved by the concerned authority the payments is made to the contractor. If any fund balance remains out of fund received in the project account on completion and discharging the liability of the construction activity, it is returned to the government.

Interest income is recognized on the time proportion basis taking into account the amount invested and rate applicable.

5. Tangible Assets:

Tangible Assets are stated at their cost of acquisition of construction less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Cost comprises purchases price, duties, levies and any directly attributable cost of bringing the assets to their working condition for its intended use by the management. It shall exclude refundable taxes.

6. Depreciation & Amortization

(i) Depreciation on each part of an item of asset will be calculated on WDV method in accordance with the provisions of Schedule II of the Companies Act, 2013 keeping 5% of cost as residual value. Each part of an item of asset with a cost that is significant in relation to total cost of the item will be depreciated separately. The useful life of an asset as defined in the Part C of Schedule II of the Companies Act, 2013 will be taken for all tangible assets. The residual value and useful life of an asset at the end of each financial year and the changes, if any, shall be accounted for as change in accounting estimates.

ii. प्रत्येक 5000/– रु. तक के मूल्य की आस्तियों को इसकी अवाप्ति के वर्ष में ही पूर्णतः ह्रासित कर दिया जाएगा।

(7) अमूर्त आस्तियां

अमूर्त आस्तियों को जब ही मान्यता दी जाती है जब यह संभावित है कि भावी आर्थिक लाभ जो कि आस्तियों से हुआ माना जा सकता है, कम्पनी के लिए होगा तथा आस्तियों की लागत विश्वासपूर्वक परिमाणित की जा सकती है। तथापि, रिपोर्टिंग दिनांक को कम्पनी के पास कोई अमूर्त आस्तियां नहीं है।

(8) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल एवं मन्दित अर्जन समता अंशधारियों के उपरोप्य अवधि के शुद्ध लाभ या हानि (उपरोप्य करों को घटाने के पश्चात्) एवं अवधि के दौरान बकाया समता अंशों की भारित औसत संख्या को विभाजित करके परिकलित है। प्रति शेयर मन्दित अर्जन, समता अंशों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के अन्त में बकाया मन्दन संभाव्य समता अंशों के अनुसार परिकलित है।

(9) आय कर

(ए) चालू एवं आस्थगित कर दोनों के लिये कर के प्रावधान किये जाते है। चालू आय कर हेतु प्रावधान निर्धारणीय आय के आधार पर चालू कर की दरों से किये जाते है।

(बी) आस्थगित आय कर, तुलन–पत्र की दिनांक को आस्तियों एवं दायित्वों के मूल कर एंव वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनो हेतु उनकी वहन राशि के मध्य सभी अस्थायी अन्तर पर लिया जाता है।

(सी) आस्थगित कर आस्तियां एवं दायित्वों को उस समय अधिनियमित या तुलन–पत्र की दिनांक को सारतः अधिनियमित कर दर एवं कर कानूनों के अनुसार परिमाणित किया जाता है।

(10) निवेश

दीर्घकालीन निवेश, यदि कोई हो, तो ऐसे निवेश मूल्य में अस्थाई के अतिरिक्त सूक्ष्मता के लिए, कम लागत प्रावधान पर किये गये है। चालू निवेश निम्नतर लागत एवं उचित मूल्य पर किये गये है।

(11) नकद (रोकड़) प्रवाह विवरण पर लेखामानक– 3

नकद प्रवाहों को अप्रत्यक्ष विधि अपनाते हुए तैयार किया गया है जिसमें गैर–नकदी प्रकृति के व्यवहार, पिछले कोई आस्थगन या उपार्जन या भावी ऑपरेटिंग नकद रसीद या भुगतान एवं निवेश करने या वित्त पोषण नकद प्रवाह के साथ सहयुक्त आय अथवा व्यय की मदों के प्रभावों के लिये कर पश्चात् समयोजन किया जाता है। कम्पनी की परिचालन, निवेश एवं वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक–पृथक किया जाता है।

(ii) Assets costing upto Rs. 5000/- each shall be fully depreciated in the year of its acquisition.

7. Intangible Assets:

Intangible assets are recognized only when it is probable that the future economic benefits that are attributable to the assets will flow to the Company and the cost of the assets can be measured reliably. Intangible assets are stated at cost less accumulated amortization and impairment loss, if any. However the Company has no intangible asset as on the reporting date.

8. Earning Per Share

Earning per equity share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders (after deducting attributable taxes) by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at end of the year.

9. Income Tax

(a) Provisional for tax is made both for current and deferred taxes. Provision for current income tax is made on the current tax rates based on assessable income.

(b) Deferred Income Tax is provided on all temporary difference, at the balance sheet date between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes.

(c) Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that been enacted or substantially enacted at the balance sheet date.

10. Investments

Long-term investments are stated at cost less provision for diminution other than temporary, if any, in value of such investments. Current investments are valued at lower of cost and fair value.

11. AS-3 on Cash Flow Statement

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit/(loss) after extraordinary items and tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the company are segregated based on the available information.

(12) नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में हस्तगत नकद, बैंक–नकद, पी. डी. खाता एवं एफ.डी. खाता सम्मिलित है।

(13) प्रावधान, आनुषंगिक दायित्व और आनुषांगिक आस्तियां

जब पूर्व कार्यकलापों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में दायित्वगत बाध्यता हो तो उक्त बाध्यताओं के निस्तारण के क्रम में संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना हो सकती है। इस क्रम में प्रबन्धन द्वारा प्राक्कलन निर्धारण हेतु प्रावधान सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

आकस्मिक दायित्वों को तथ्यों तथा अन्तर्ग्रस्त मामले के विधिक पहलुओं के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के पश्चात् प्रबन्धन के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जायेगा।

आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्य किया जाएगा न ही प्रकट किया जाएगा तथापि, जब आय का प्रापण वस्तुत: निश्चित है, सापेक्ष आस्ति को मान्य किया जाता है।

(14) आस्तियों का ह्रासन

प्रतिवेदित दिनांक को यदि स्थिर आस्तियों की वहन राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो वहन राशि को वसूली राशि तक कम किया जाता है। वसूली योग्य राशि को शुद्ध विक्रय मूल्य से उच्चतर परिमाणित किया जाता है एवं उपभोग मूल्य भावी रोकड़ प्रवाहों के वर्तमान मूल्य द्वारा निश्चित किया जाता है।

(15) कर्मचारी परिलाभ

प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्मचारी परिलाभ दायित्व (जैसे पेंशन, उपादान आदि) उनके पैतृक संगठन/विभाग का रहता है। कम्पनी, जहाँ कही नियमों के अनुसार प्रयोज्य है, नियमित रूप से उनके पैतृक संगठन/विभाग को अंशदान का संदान कर रही है।

(16) पूर्व अवधि व्यय/आय

प्रत्येक मामले में 1,00,000/– रु. तक के/की पूर्व अवधि से सम्बन्धित व्यय/आय, सम्बन्धित लेखा मद को प्रभावित/लेखाबद्ध किया जाएगा/की जाएगी।

(17) परिसमापन हर्जाना

परिसमापन क्षति/प्रतिकर के क्रम में मुविक्कलों/संविदाकारों के सम्बन्ध में यदि कोई विलम्ब को तब लेखाबद्ध किया जाएगा जब मामले को प्रबन्धन ने निपटा हुआ मान लिया है।

12. Cash and Cash Equivalents

Cash and Cash equivalents comprises of cash and cash at bank, PD account & FD account.

13. Provisions, Contingents Liabilities And Contingent Assets

A provision is recognized when the company has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle obligation and in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions shall be determined based on management estimate required to settle the obligation on reporting date.

Contingent Liabilities shall be disclosed on basis of judgment of management after a careful evaluation of facts and legal aspects of matter involved.

Contingent assets shall neither be recognized nor will be disclosed. However, when realization of income is virtually certain, related asset is recognized.

14. Impairment of Assets

If the carrying amount of fixed assets exceeds the recoverable amount on the reporting date, the carrying amount is reduced to the recoverable amount. The recoverable amount is measured as the higher of the net selling price and the value in use determined by the present value of future cash flows.

15. Employee Benefits

The employee's benefit liabilities of the officers/ employees on deputation (such as Pension, Gratuity etc.) lie with their parent organization department. The company is paying the contribution regularly to their parent organization/ department, whenever applicable, as per rules.

16. Prior Period Expenditure / Income

Expenditure / Income upto Rs. 1,00,000 in each case relating to prior period shall be charged/ accounted for respective head of accounts.

17. Liquidated Damages

Liquidated Damages/ Compensation for delay in respect of clients/ contractors, if any, shall be accounted for when matter is considered settled by management.

(18) मध्यस्थ निर्णय

मध्यस्थ/न्यायालय निर्णयों को इनकी आज्ञप्ति होने के पश्चात् लेखाबद्ध किया जायेगा ऐसे प्रकरणों में ब्याज को वास्तव में भुगतान/प्राप्ति के आधार पर लेखाबद्ध किया जाएगा।

(19) संदिग्ध ऋण/ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान

भारत सरकार, इसके विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से सम्बन्धित बन्द हुयी परियोजनाओं में व्यापार प्राप्यताओं/ऋणों तथा अग्रिमों की राशि को, प्राप्यताओं/ऋणों तथा अग्रिमों की कुछ भी व्यय होते हुए भी प्रापण हेतु उत्तम माना जाएगा। विवाद की दशा में ये कर्जे मुवक्किल के साथ अन्तिम समझौता किए जाने या मध्यस्थ/न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए जाने तक अनवरत अनुसरण के अध्यधीन है। संदिग्ध कर्जों/ऋणों व अग्रिमों के प्रति आवश्यक प्रावधान प्रबन्धन के पिछले अनुभव के आधार पर निर्धारित किए जायेंगे। प्राप्यताओं/अग्रिमों के अप्राप्य होना माने जाने पर अपलिखित कर दिया जाएगा।

ब) लेखों पर टिप्पणियां

1. लेनेदारों की एसएसआई स्थिति कम्पनी को ज्ञात नहीं है, इसलिए सूचना नहीं दी गई है।
2. वेतन में निदेशकों को वेतन के मद पर परिश्रमिक शून्य (पिछले वर्ष शुन्य रु.)शामिल है
3. विविध लेनदार, विविध देनदार, ऋण एवं अग्रिम तथा असुरक्षित ऋण इनके पुस्तक मूल्य पर उनके पुष्टिकरण तथा समाधान के अध्यधीन लिए गए है।

4. अंकेक्षकों को भुगतान

अंकक्षकों का परिश्रमिक	2017-2018	2016-2017
अंकेक्षण शुल्क	17000.00	17425.00
शुल्क पर वस्तु एवं सेवाकर	3060.00	-
योग	20060.00	17425.00

5. ऐसे ऋणों व अग्रिमों को श्रेष्ठ माना गया है जिनके सम्बन्ध में कम्पनी के पास व्यक्तियों की व्यक्तिगत प्रत्याभूति के अलावा किसी अन्य प्रकार की प्रतिभूति नहीं है।
6. अन्य को अग्रिमों में ऐसी प्रतिष्ठानों को अग्रिम शामिल नहीं है जिसमें निदेशकों की रूचि है।

7. सम्बन्धित पक्षकार प्रकटीकरण

(ए) सम्बन्धित पक्षकार तथा उनकी रिश्तेदारी

18. Arbitration Awards

Arbitration/ Court's awards, to the extent not taken into accounts at the time of initiation, shall be accounted for after it becomes decree. Interest to/ from in these cases are accounted for on actual payment/ receipt basis.

19. Provision For Doubtful Debts / Loans And Advances

The amount of Trade Receivables / Loans and advances in closed projects, pertaining to Government of India, its departments and Public Sector Enterprises shall be considered good for realization irrespective of the age of receivable/ loans and advances. In case of dispute, these debts are under constant persuasion for realization till final settlement made with client or verdict is passed by the arbitrator / court. Necessary provision against doubtful debts/ loans and advances shall be made based on the previous experience of Management. Receivables/ Advances shall be written-off as and when considered unrealizable.

(B) Notes on Accounts

1. The SSI status of the creditors is not known to the company, hence the information is not given.

2. Salaries includes directors remuneration on account of salary Rs. Nil (Previous Year Rs. Nil)

3. Sundry Creditors, Sundry Debtors, Loans & Advances and Unsecured Loans have been taken at their book value subject to confirmation and reconciliation.

4. Payments to Auditors:-

Auditors Remuneration	2017-2018	2016-2017
Audit Fees	17000.00	17425.00
GST on Fees	3060.00	–
Total	**20060.00**	**17425.00**

5. Loans and Advances are considered good in respect of which company does not hold any security other than the personal guarantee of persons.

6. No advance to others includes advances to concerns in which directors are interested

7. Related Party disclosure

(A) Related Parties and their Relationship

(I) मुख्य प्रबन्धन कार्मिक

1. श्री सुरेन्द्र कुमार सोलंकी
2. श्री आलोक
3. श्री अशोक पाटनी
4. श्री आलोक त्रिपाठी
5. श्री अय्यनु मूपनार पोन्नुचामी
6. श्री कपिल गर्ग
7. श्री भुपेन्द्र सिंह

(II) मुख्य प्रबन्धन कर्मिक के रिश्तेदार

कोई नहीं

सम्बन्धित पक्षकारों के साथ कोई संव्यवहार नहीं

8. पिछले वर्ष के आंकडों को पुनसमूहित/ पुनव्यवस्थापित कर दिया गया है।

टिप्पणी 1 से 12 के लिए हस्ताक्षर

कृते राकेश अशोक एण्ड क.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

कृते राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड

–ह0–	–ह0–	–ह0–	–ह0–
(विजय कुमार गुप्ता)	**(ए.पौन्नूचामी)**	**(आलोक त्रिपाठी)**	**(भूपेन्द्र सिंह)**
साझेदार	प्रबन्ध निदेशक	निदेशक	निदेशक
सं.सं. 407189	डीआईएन : 07869683	डीआईएन : 07653593	डीआईएन : 08063497

पंजीकरण सं. 011273सी
स्थान : जयपुर
दिनांक : 28.09..2018

(I) Key Management Personnel

1. Shri Surendra Kumar Solanki
2. Shri Alok
3. Shri Ashok Patni
4. Shri Alok Tripathi
5. Shri Ayyanu Moopanar Ponnuchamy
6. Shri Kapil Garg
7. Shri Bhupendra Singh

(II) Relative of Key Management Personnel

NIL

There is no any transactions with Related parties.

8. Previous year figures have been regrouped/rearranged wherever necessary.

Signature to notes 1 to 12

In terms of our Separate Audit Report of Even date Attached

FOR RAKESH ASHOK & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

FOR RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED

(VIJAY KUMAR GUPTA)
Partner
Membership No. 407189
Registration No. 011273C

(A.Ponnchamy)
Managing Director
DIN-07869683

(Alok Tripathi)
Director
DIN -07653593

(Bhupendra Singh)
Director
DIN-08063497

PLACE : JAIPUR
DATE: 28 Sep. 2018

संख्या जीएसएसए–II / एस–5 / एए / आरपीएचसीसीएल / 2017–18 / के–29 / डी 798

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान

जनपथ, जयपुर–302005

दिनांक : 14.11.2018

प्रबंध निदेशक,

राजस्थान पुलिस हाउसिंग एंड कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड,

कक्ष संख्या –756, राजस्थान पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर।

विषयः राजस्थान पुलिस आवासन एंड निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

महोदय,

मुझे कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करने हेतु 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान पुलिस आवासन एंड निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम की धारा 143(6)(a) के अधीन समीक्षा न करने का ''असमीक्षा प्रमाण पत्र'' (नॉन रिव्यू सर्टिफिकेट) जारी करने का निर्देश हुआ है।

उपरोक्त अवधि के वार्षिक लेखें एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की सात प्रतियां जैसी कि साधारण सभा में रखी जावें तथा स्वीकृत की जावें, कृपया इस कार्यालय को शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

भवदीय,

ह0

उपमहालेखाकार

(जी.एस.एस.ए.–II)

संलग्नः उपरोक्तानुसार

सत्यमेव जयते

No. GSSA-II/S-5/AA/RPHCCL/2017-18/K-29/D 798

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (GENERAL AND SOCIAL SECTOR AUDIT) RAJASTHAN, JANPATH, JAIPUR-302005

Date : 14.11.2018

Managing Director
Rajasthan Police Housing & Construction
Corporation Ltd. Jaipur,
Room No. 756, Raj. Police Headquarter,
Lal Kothi, Jaipur

Subject: Comments of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd. Jaipur for the year ended 31st March, 2018

Sir,

Under section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 I am directed to submit Non review certificate (regarding not to conduct review) before Annual General meeting, under section 143(6)(a) on the accounts of Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd. Jaipur for the year ended 31st March, 2018.

Seven copies of financial statement and auditors report may be placed and accepted in the annual general meeting and may please sent to this office at the earliest possible.

Yours,
Sd

Dy. Accountant General
(G.S.S.A-II)

Enclosed: As above

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर के लेखों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों को कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत विहित रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबन्धन का है। कम्पनी अधिनियम की धारा 139 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये वैधानिक अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व उन वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन विहित किये गये लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143 (10) के अन्तर्गत स्वतंत्र अंकेक्षण पर आधारित मत व्यक्त करने का है। यह अंकेक्षण प्रतिवेदन दिनांक 28 सितम्बर, 2018 में यथानुरूप निम्नानुसार वर्णित किया गया है।

मैंने, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के निमित्त, राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लेखों की कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (6)(बी) के अन्तर्गत पूरक अंकेक्षण नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए व निमित्त

—ह0—

(आर.जी.विश्वनाथन)

प्रधान महालेखाकार (सा. एवं सा. क्षे. ले प.)राजस्थान, जयपुर

स्थान : जयपुर

दिनांक : 14.11.2018

COMMENTS OF THE COMPRTOLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED, JAIPUR FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2018

The preparation of financial statement of Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Limited, Jaipur for the year ended 31st March 2018 in accordance with the financial reporting framework prescribed under Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller & Auditor General of India under section 139(5) of the act is responsible for expressing opinion on these financial statements under section 143 of the act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide there Audit Report dated 28th September2018.
I, on behalf of Comptroller & Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Limited, Jaipur for the year ended 31st March 2018 under section 143(6)(a) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: Jaipur
Date: 14.11.2018

Sd
(R.G. Vishwanathan)
Principal Accountant General (G&SSA)
Rajasthan, Jaipur

दिनांक 31.03.2018 को कार्यों की भौतिक प्रगति

क्र. सं.	कार्य का नाम	इकाई	स्वीकृत राशि (लाखों में)	प्राप्त राशि (लाखों में)	दिनांक 31.03.18 तक व्यय व्यय (लाखों में)	भौतिक प्रगति
1	आरपीए चांदपोल मे बैरिक	250 मैन बैरिक	500.00	250.00	146.42	पूर्व निर्मित तीनों तलों में फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।
2	पुलिस स्टेशन दांतारामगढ	एक थाना भवन	228.48	190.51	106.30	फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।
3	साईबर क्राईम थाना जयपुर	एक थाना भवन	100.00	100.00	0.00	दिनांक 24.07.2017 को संशोधित नक्शा अनुमोदन हेतु राज्य सरकार के पास भिजवाया गया। अनुमोदन के पश्चात कार्य शुरू कर दिया जायेगा
4	पुलिस स्टेशन करधनी एवं आवासीय भवन	एक थाना भवन लोवर सर्बो के 4 आवास	253.25	183.25	164.07	पुलिस स्टेशन एवं आवासीय भवनों में फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत हे।
5	दरबार स्कूल में लोवर सबो. आवासीय भवन	48 लोवर सर्बो आवास	1068.00	1,430.00	371.33	फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत हे।
6	चौमू में अपर व लोवर सबो. आवासीय भवन	16 लोवर सर्बो आवास व 4 अपर सर्बो आवास	489.08		0.30	निविदा प्रक्रियाधीन है।
7	अशोक नगर में लोवर सबो. आवासीय भवन	12 लोवर सर्बो आवास	267.00		58.24	छत का कार्य पूर्ण व फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।
8	शिप्रापथ में अपर व लोवर सबो. आवासीय भवन	40 लोवर सर्बो आवास व 6 अपर सर्बो आवास	1089.62		194.76	फिनिशिंग का कार्य पूर्ण व सेनेटरी कार्य प्रगतिरत है।
9	चाकसू में अपर व लोवर सबो. आवासीय भवन	16 लोवर सर्बो आवास व 4 अपर सर्बो आवास	489.08		100.73	छत का कार्य पूर्ण व फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।
10	कोटखावदा में अपर व लोवर सर्बो आवासीय भवन	16 लोवर सर्बो आवास व 4 अपर सर्बो आवास	489.08		53.94	लोअर सर्बो. के आवासों मे भूतल की छत का कार्य पूर्ण प्रथम तल में कॉलम का कार्य प्रगतिरत व चारदीवारी का कार्य पूर्ण हो चुका है। अपर सर्बो. के आवासों का कार्य लिंटल लेवल तक पूर्ण
11	शिवदासपुरा में अपर व लोवर सबो. आवासीय भवन	16 लोवर सर्बो आवास व 4 अपर सर्बो आवास	489.08		52.75	छतों का कार्य पूर्ण एवं फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।
12	सांगानेर में लोवर सबो. आवासीय भवन	12 लोवर सर्बो आवास	267.00		58.44	छतों का कार्य पूर्ण एवं फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।
13	बस्सी में लोवर सबो. आवासीय भवन	6 लोवर सर्बो आवास	133.50		20.45	भूतल की छत का कार्य पूर्ण एवं प्रथम तल की कॉलम का कार्य प्रगतिरत है।
14	प्रताप नगर में लोवर सबो. आवासीय भवन	6 लोवर सर्बो आवास	133.50		7.74	प्रथम तल के कॉलम का कार्य प्रगतिरत है।

Physical Progress of Works as on Report on 31.03.2018

S. N.	Work Name	Units	Sanction Amount (Rs. Lakhs)	Amount Received upto 31.03.18 (Rs. Lakhs)	Expenditure upto 31.03.18 (Rs. Lakhs)	Physical Progess
1	Barrack at RPA Chandpol	250 Men "Barrack	500.00	250.00	146.42	Finishing work is in Progress in already constructed barracks.
2	P.S. DantaRamgarh	one P.S.	228.48	190.51	106.30	Finishing work in Progress.
3	Cyber Crime Thana Jaipur	one P.S.	100.00	100.00	0.00	Revised map sent for approval on 24-7-17 to Govt .Work started after approval of drawings.
4	PS Thana Kardhani & USQ LSQ	one P.S. & 4 LSQ	253.25	183.25	164.07	Finishing work in progress in police station building and residential quarters.
5	LSQ Darbar School	48 LSQ	1068.00	1,430.00	371.33	Finishing under process.
6	USQ LSQ Chomu	16 LSQ 4 USQ	489.08		0.30	Tender under process.
7	LSQ Ashok Nagar	12 LSQ	267.00		58.24	Roof laid, finishing work in progress.
8	USQ LSQ Shiprapath	40 LSQ 6 USQ	1089.62		194.76	Finishing work at final stage and Sanitary work is in progress.
9	USQ LSQ Chaksu	16 LSQ 4 USQ	489.08		100.73	Roof work completed and finishing work in progress.
10	USQ LSQ Kotkhawada	16 LSQ 4 USQ	489.08		53.94	LSQ:-Ground floor roof laid and first floor column work in progress.Boundary wall work completed. USQ:- at Lintel level.
11	USQ LSQ Shivdaspura	16 LSQ 4 USQ	489.08		52.75	LSQ & USQ :-Roof work completed in all residential quaters and finishing work in progress.
12	LSQ Sanaganer	12 LSQ	267.00		58.44	Roof work completed and finishing work in progress.
13	LSQ Bassi	6 LSQ	133.50		20.45	Ground floor roof laid and first floor column work in progress.
14	LSQ Pratap Nagar	6 LSQ	133.50		7.74	First floor column work in progress.

15.	ग्रामीण पुलिस लाईन में अपर व लोवर सबो. आवासीय भवन	18 लोवर सर्बों आवास व 2 अपर सर्बों आवास	467.04		33.41	लोअर सर्बों की प्लीन्थ का कार्य पूर्ण व भूतल के कॉलम का कार्य प्रगतिरत है। अपर सर्बो. में प्लीन्थ का कार्य पूर्ण व भूतल में ईट चिनाई का कार्य प्रगतिरत है।
16	कालाडेरा में लोवर सबो. आवासीय भवन	6 लोवर सर्बों आवास	133.50		26.83	छतों का कार्य पूर्ण एवं फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है।
17	पांचवी बटालियन में लोवर सबो. आवासीय भवन	18 लोवर सर्बों आवास	400.50		16.03	प्लीन्थ लेवल तक कार्य पूर्ण व भूतल के कॉलम का कार्य प्रगतिरत है।
18	एसडीआरएफ गाडोता	बटालियन	1450.00	550.00	325.88	1. दोनों बैरिक में फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत, 2. हॉस्टल के भूतल की छत का कार्य प्रगतिरत, 3. प्रशासनिक भवन भूतल का कार्य पूर्ण हो चुका व 4. ऑफिसर्स मैस एवं अन्य भवनों का निर्माण छत लेवल तक हो चुका है।
19	एसीपी चौमू आवासीय भवन	एक आवास	43.00	25.00	13.15	फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत हे।
20	14 वीं आरएसी पहाड़ी भरतपुर	बटालियन	2274.76	600.00	191.48	सड़क का कार्य प्रगतिरत, प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य छत लेवल तक पूर्ण, 100 मैन बैरिक का कार्य प्लीन्थ लेवल तक पूर्ण, 50 मैन बैरिक का कार्य प्लीन्थ लेवल तक पूर्ण हो चुका है।
21	पीटीएस उदयपुर	प्रशिक्षण संस्थान	5681.27	600.00	0.22	तकमीने का कार्य प्रगतिरत है।
22	महाराणा प्रताप बटालियन प्रतापगढ	बटालियन	4382.53	1,000.00	2.08	निविदा प्रक्रियाधीन है।
23	पुलिस स्टेशन दानपुर	एक थाना भवन	231.54	300.00	0.00	भूमि सर्वे एवं मृदा परीक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है, निविदा आमन्त्रित की जानी है।
24	पुलिस स्टेशन भोपाल सागर	एक थाना भवन	212.80		0.72	निविदा प्रक्रियाधीन है।
25	पुलिस स्टेशन महिला दौसा	एक थाना भवन	166.76		0.00	पुन: निविदा आमन्त्रित की जानी है।
26	पुलिस स्टेशन कोटखावदा	एक थाना भवन	228.48		0.00	पुन: निविदा आमन्त्रित की जानी है।
27	पुलिस स्टेशन नागौरी गेट जोधपुर	एक थाना भवन	273.40		0.17	भूमि सर्वे का कार्य पूर्ण, निविदा प्रक्रियाधीन है।
28	पुलिस स्टेशन घंटाली	एक थाना भवन	230.84		0.00	भूमि सर्वे का कार्य पूर्ण, निविदा प्रक्रियाधीन है।
29	पुलिस स्टेशन कोतवाली फतेहपुर	एक थाना भवन	229.16		0.00	निविदा प्रक्रियाधीन है।
30	पुलिस स्टेशन माउण्ट आबू	एक थाना भवन	233.22		0.00	भूमि सर्वे एवं मृदा परीक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है।
31	पुलिस स्टेशन पीपलू	एक थाना भवन	228.42		0.79	निविदा प्रक्रियाधीन है।
32	पुलिस स्टेशन बाबलवाड़ा	एक थाना भवन	228.53		0.00	निविदा प्रक्रियाधीन है।
33	अति. पुलिस अधीक्षक सहाड़ा	एक अति. पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन	38.95		0.00	भूमि सर्वे एवं भूमि परीक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है, निविदा प्रक्रियाधीन है।
34	सीओ कार्यालय नाथद्वारा	एक सीओ कार्यालय भवन	45.75		0.00	भूमि सर्वे एवं भूमि परीक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है, निविदा प्रक्रियाधीन है।

15	USQ LSQ Gramin Police line	18 LSQ 2 USQ	467.04		33.41	LSQ :-Plinth level work completed and ground floor column work in progress. USQ:- Plinth level work completed and brick work of ground floor in progress.
16	LSQ Kaladera	6 LSQ	133.50		26.83	Roof work completed and finishing work in progress.
17	LSQ 5th RAC Jaipur	18 LSQ	400.50		16.03	Plinth level work completed and ground floor column work in progress.
18	SDRF Gadota	Battalion	1450.00	550.00	325.88	1. Finishing work in progress in both Barracks 2.Hostel building ground floor roof work in progress 3.Admn block Ground floor work completed and 4.Officers mess and others building work completed upto roof level.
19	ACP Chomu Resid.	one Residence	43.00	25.00	13.15	Finishing work in progress.
20	RAC Pahadi Bharatpur	Battalion	2274.76	600.00	191.48	1. Road work in progress 2. Admn. block at roof level completed 3. 100 Men barracks at plinth level completed 4. 50 Women barracks at plinth level completed.
21	PTS Udaipur	Training Institute	5681.27	600.00	0.22	Estimation work in progress.
22	MP Battalian Pratapgarh	Battalion	4382.53	1,000.00	2.08	Tender under process.
23	PS Danpur	one P.S.	231.54	300.00	0.00	Survey and soil testing work completed and NIT to be floated.
24	PS Bhopal Sagar	one P.S.	212.80		0.72	Tender under process.
25	PS Mahila Dausa	one P.S.	166.76		0.00	Re-Tender to be floated.
26	PS Kotkhawada	one P.S.	228.48		0.00	Re-Tender to be floated.
27	PS Nogaori gate Jodhpur	one P.S.	273.40		0.17	Survey and soil testing work completed and NIT under process
28	PS Ghantali	one P.S.	230.84		0.00	Survey and soil testing work completed and NIT under process.
29	PS Kotwali Fethepur	one P.S.	229.16		0.00	Tender under process.
30	PS Mount abu	one P.S.	233.22		0.00	Survey and soil testing work completed.
31	PS Peeplu	one P.S.	228.42		0.79	Tender under process.
32	PS Babalwara	one P.S.	228.53		0.00	Tender under process.
33	Add SP Saheda	One Addl. SP Office	38.95		0.00	Survey and soil testing work completed and NIT under process.
34	CO Office Nathdwara	One CO Office	45.75		0.00	Survey and soil testing work completed and NITunder process.

35	सीओ कार्यालय बिलाड़ा	एक सीओ कार्यालय भवन	66.86		0.00	भूमि सर्वे एवं भूमि परीक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है, निविदा प्रक्रियाधीन है।
36	सीओ कार्यालय लक्ष्मणगढ	एक सीओ कार्यालय भवन	41.00		0.00	निविदा प्रक्रियाधीन है।
37	सीओ कार्यालय टोंक	एक सीओ कार्यालय भवन	47.65		0.79	निविदा प्रक्रियाधीन है।
38	सीओ कार्यालय कुम्भलगढ	एक सीओ कार्यालय भवन	37.74		0.00	भूमि सर्वे एवं भूमि परीक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है, निविदा प्रक्रियाधीन है।
39	सीओ कार्यालय माउण्ट आबू	एक सीओ कार्यालय भवन	40.49		0.00	भूमि सर्वे एवं मृदा परीक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है।
40	एनडीपीएस प्रतापगढ	एक गोदाम भवन	27.34	100.00	0.28	निविदा प्राप्त कार्यादेश दिया जाना प्रक्रियाधीन है।
41	एनडीपीएस चितौड़गढ	एक गोदाम भवन	27.34		0.28	निविदा प्राप्त कार्यादेश दिया जाना प्रक्रियाधीन है।
42	एनडीपीएस कोटा	एक गोदाम भवन	27.34		0.00	निविदा प्राप्त कार्यादेश दिया जाना प्रक्रियाधीन है।
43	एनडीपीएस बारां	एक गोदाम भवन	27.34		0.00	निविदा प्राप्त कार्यादेश दिया जाना प्रक्रियाधीन है।
44	एनडीपीएस झालावाड़	एक गोदाम भवन	27.34		0.17	निविदा प्राप्त कार्यादेश दिया जाना प्रक्रियाधीन है।
45	एसीबी जयपुर	कार्यालय भवन	389.32	150.00	0.00	कार्य प्रगतिरत है।
46	उपकारागार अकलेरा	जेल भवन	1053.00	0.00	0.00	भूमि सर्वे एवं मृदा परीक्षण का कार्य प्रगतिरत है।
47	जिला कारागार डूंगरपुर	जेल भवन	1638.00	0.00	0.07	भूमि सर्वे एवं मृदा परीक्षण का कार्य प्रगतिरत है।
	योग		**26627.88**	**5,478.76**	**1,947.82**	

35	CO Office Bilada	One CO Office	66.86		0.00	Survey and soil testing work completed and NIT under process.
36	CO Office Laxman Garh	One CO Office	41.00		0.00	Tender under process.
37	CO Office Tonk	One CO Office	47.65		0.79	Tender under process.
38	CO Office Kumbalgarh	One CO Office	37.74		0.00	Survey and soil testing work completed and NIT under process.
39	CO Office Mount abu	One CO Office	40.49		0.00	Survey and soil testing work completed.
40	NDPS Pratapgarh	One Godown	27.34	100.00	0.28	Tender received. Tender under process.
41	NDPS Chittorgarh	One Godown	27.34		0.28	Tender received. Tender under process.
42	NDPS Kota	One Godown	27.34		0.00	Tender received. Tender under process.
43	NDPS Baran	One Godown	27.34		0.00	Tender received. Tender under process.
44	NDPS Jhalawar	One Godown	27.34		0.17	Tender received. Tender under process.
45	ACB Jaipur	Office Building	389.32	150.00	0.00	work in progress.
46	Sub Jail Akelra	Jail Building	1053.00	0.00	0.00	Survey and soil investigation work in progress .
47	Distt. Jail Dungarpur	Jail Building	1638.00	0.00	0.07	Survey and soil investigation work in progress .
	Total		**26627.88**	**5,478.76**	**1,947.82**	

पुलिस थाना भवन करधनी

पुलिस थाना भवन दाँतारामगढ़

निर्माणाधीन राज्य अन्वेषण ब्यूरो भवन, जयपुर

डायमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर ✆ 0141-4043938